अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

क्रंमाक / अविप्रा / सचिव / प.10 / 2023 / 42-60 दिनांक 18/04/2023

बैठक कार्यवाही विवरण

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की 25 वी. प्राधिकरण बैठक दिनांक 17.04.2023 को अध्यक्ष, अजमेर विकास प्राधिकरण, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

बैठक में निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित हुएः–

1. *श्री अंशदीप , जिला कलक्टर, अजमेर एवं अध्यक्ष अ.वि.प्रा, अजमेर।*
2. *श्रीमती बृजलता हाड़ा, मेयर, नगर निगम, अजमेर।*
3. *श्री अक्षय गोदारा, आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।*
4. *श्री अमानुल्लाह खान, सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।*
5. *श्री मुकेश मित्तल, वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर।*
6. *श्री एन.के.भटनागर, अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण निगम, लिमिटेड़ अजमेर।*
7. *श्री अशोक तंवर, अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग,अजमेर।*
8. *श्री विष्णु प्रकाश शर्मा, अधिशाषी अभियंता, जन.स्वा.अभि.विभाग, अजमेर।*
9. *श्री दीपक कौशिक, आवासीय अभियंता ,राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर*

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सदस्यगणों का सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा स्वागत किया गया। स्वागतोपरान्त अजमेर विकास प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 28.09.2022 में लिये गये निर्णयों की अनुपालना से अवगत करवाया गया ।

इसके पश्चात् बिन्दुवार ऐजेण्डा के समस्त बिन्दुओं पर प्राधिकरण की बैठक में अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से कार्यवाही प्रांरम्भ कर निम्नानुसार चर्चा कर निर्णय लिये गयेः–

(अमानुल्लाह खान)
सचिव (RAS)
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

(2)

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की दिनांक 17.04.2023 को आयोजित होने वाली 25 वीं प्राधिकरण बैठक का (कार्यवाही विवरण) :–

प्रस्ताव संख्या	*विवरण*	*अनुभाग*
1	दिनांक 28.09.2022 को आयोजित प्राधिकरण की 24 वी. बैठक मे लिए गये प्रस्तावों की पुष्टि । निर्णयः– सर्वसम्मति से दिनांक 28.09.2022 को आयोजित प्राधिकरण की 24 वी. बैठक मे लिए गये प्रस्तावों की पुष्टि की गई।	सचिव (अमानुल्लाह खान) सचिव (RAS) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
2	दिनांक 24.11.2022, 31.01.2023, 22.03.2023 को पारित किये गये परिचलन/परिभ्रमण प्रस्तावों का अनुमोदन। निर्णयः– सर्वसम्मति से दिनांक 24.11.2022, 31.01.2023, 22.03.2023 को पारित किये गये परिचलन/परिभ्रमण प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।	सचिव (अमानुल्लाह खान) सचिव (RAS) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
3	वित्तीय वर्ष 2022–23 की वास्तविक प्राप्तियो एवं भुगतानों तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 के प्राप्तियों एवं भुगतानो के अनुमान (बजट) अनुमोदित करने हेतु प्रस्ताव। अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के वित्तीय वर्ष 2022–23 के वास्तविक प्राप्तियों एवं भुगतानों तथा वर्ष 2023–24 के प्राप्तियों एवं भुगतानों का प्रस्तावित अनुमान प्राधिकरण बोर्ड बैठक में अनुमोदित कराया जाना है। प्राप्तियों एवं भुगतानों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः– (राशि रूपये लाखों में) क्र.स / वित्तीय वर्ष / विवरण / प्राप्तियाँ / भुगतान 1 / 2022–23 / वास्तविक / 24872.15 / 23699.81 2 / 2023–24 / अनुमानित / 29920 / 34940 विस्तृत विवरण मय बजट टिप्पणी निम्नानुसार है	निदेशक वित्त (राजकिशोर मीणा) निदेशक वित्त

वित्तीय वर्ष 2022–23 का स्वीकृत बजट एवं वास्तविक प्राप्तियों तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 का आय व्ययक अनुमान (BE)

परिशिष्ट–"अ"

राशि रूपये लाखों में

क्र.सं.	बजट मद	स्वीकृत बजट 2022–23	अप्रेल 2022 से मार्च 2023 वास्तविक प्राप्तियाँ	2023–24 प्रस्तावित आय
1	2	3	4	5
I	**RERA मद**	**6700**	**2446.95**	**2500**
	भूमि विक्रय से आय			
1	विजयाराजे सिधिंया (RERA)		0.67	
2	दौराई व्यावसायिक (RERA)		66.59	
3	गनाहेडा पुष्कर (RERA)		2200.64	
4	लोहागल व्यावसायिक (RERA)		179.05	
5	फूस की कोठी (RERA)			
6	सूरजकुण्ड ईकॉलॉजिकल फॉर्म हाऊस (RERA)			
7	होकरा फार्म हाऊस एवं रिसोर्ट योजना (RERA)			
II	**टाईड (tied) मद**	**12060**	**5103.48**	**13209**
	अनुदान प्राप्ति/Deposit Work			
1	सांसद कोष	100	37.50	100
2	विधायक कोष	500	696.04	500
3	नगर निगम, अजमेर	2		20
4	पुष्कर में गुरूद्वारा साहब में हाल निर्माण	205		173
5	पुष्कर में प्रवेश द्वार/सेन्ट्रल पार्क निर्माण	210		305
6	पुष्कर घाटो पर ड्रेन कार्य			601
7	पुष्कर (खरखेडी) में गौशाला निर्माण कार्य			
8	ब्रह्मा मंदिर में रेम्प एवं सीढियों का निर्माण		52.00	
9	ब्रह्मा मंदिर में Sand Stone Pathway निर्माण			

(राजकिशोर मीणा)
निदेशक वित्त

10	कायड़ में मेडिकल कॉलेज निर्माण	10085	3656.69	10000
11	जे.एल.एन में सर्जिकल ब्लाक निर्माण	350		350
12	जनाना हास्पिटल में गर्ल्स छात्रावास निर्माण		500.00	1000
13	मेहन्दीपुर बालाजी से सिने वर्ल्ड तक सड़क निर्माण (PWD)		11.50	
14	स्मार्ट सिटी के कार्य (वैशाली नगर में लाईट कार्य)		20.18	50
15	चन्द्रवरदाई खेल मैदान के पास गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण	200	90.00	110
16	JLN में कलर एवं पेटिंग		11.00	
17	खादी ग्रामोंद्योग की चारदीवारी निर्माण		10.00	
18	DFCC	364		
19	ब्याज से आय (पी.डी. खाता)	44	18.57	0
III	**ADA मद से आय**	**8500**	**9169.58**	**6500**
1	भूमि विक्रय से आय			
	हरि.उपा. नगर (मुख्य योजना)		483.53	
	हरि.उपा. नगर (विस्तार योजना)		495.09	
	बालकृष्ण कौल नगर		584.80	
	पंचशील नगर आवासीय		1127.70	
	पंचशील नगर व्यावसायिक		37.10	
	कोटड़ा		2601.94	
	चन्द्रवरदाई नगर		177.16	
	महाराणा प्रताप नगर		42.84	
	वैशाली नगर			
	ट्रांसपोर्ट नगर		11.41	
	जे.पी. नगर		106.11	
	अर्जुनलाल सेठी नगर		191.20	
	डी.डी. पुरम		2.87	
	पृथ्वीराज नगर योजना		3175.75	
	गणेश गुवाडी		108.53	
	भूखण्डधारियों से ब्याज		17.96	
	अन्य		5.59	

(राजकिशोर मीना)

	2	**आवासगृह (किराया क्रय पद्धति)**	**10**	**3.49**	**10**		
		आवासगृह किराया क्रय					
		आवासगृह कोटड़ा					
		हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य					
		हरिभाऊ उपाध्याय नगर विस्तार					
		आवासगृह जे.पी. नगर					
		आवासगृह पंचशील नगर					
		अर्जुनलाल सेठी नगर					
	3	**नगर सौन्दर्यीकरण पृथ्वीराज, दाहरसेन, विश्राम स्थल किराया आदि**	**100**	**101.24**	**150**		
		सामुदायिक भवन / जवाहर रंगमंच		30.62			
		बैंक भवन (आई.सी.आई.सी.आई प्राधिकरण परिसर)		3.48			
		Seven Wonders		18.34			
		अन्य प्राप्तियाँ		0.10			
		लेक फ्रंट डवलपमेंट विश्राम स्थली (6 शॉप)					
		विवेकानन्द पार्क (3 शॉप)		5.11			
		इन्दिरा कॉम्पलैक्स में निर्मित दुकाने					
		महाराणा प्रताप स्मारक		28.76			
		सांझी छत / पृथ्वीराज स्मारक		14.83			
	4	**शहरी जमाबंदी**	**660**	**2054.9**	**850**		
		वार्षिक शहरी जमाबन्दी		518.88			
		एकमुश्त शहरी जमाबंदी / फ्री–होल्ड		1524.78			
		शहरी जमाबंदी ब्याज		11.24			
	5	**ब्याज से आय**	**150**	**120.06**	**100**		
	6	**भण्डार से आय**	**20**	**0.02**	**0**		
		अनुपयोगी सामग्री निस्तारण व अन्य					
	7	**विविध आय**	**500**	**1987.78**	**1000**		
		भूमि आवंटन शुल्क		587.02			
		विकास शुल्क		628.16			
		उपविभाजन पुर्नगठन		46.84			
		भू–उपयोग परिवर्तन		187.40			
		पट्टा / खांचा भूमि आवंटन					

	नामान्तरण		61.32		
	आवेदन पत्र विक्रय/आवेदन शुल्क		11.87		
	क्रेन लिफ्टिंग चार्ज		5.96		
	रजिस्ट्रशन फीस		2.92		
	पेनल्टी		20.86		
	एन.ओ.सी		98.30		
	कार/मोबाईल किराया		1.87		
	निविदा शुल्क		8.44		
	संग्रहण शुल्क		0.61		
	Recovery Stone		0.72		
	पीएल भुगतान प्राप्ति		5.93		
	प्रकाशन वसूली		8.01		
	प्रोसेसिंग फीस		4.25		
	चेक निरस्त		48.48		
	पूर्णता प्रमाण–पत्र		3.92		
	सीवरेज चार्ज		45.30		
	अनुमोदन/जांच/आधार भूत सुविधा		104.11		
	सर्वे चार्ज		5.06		
	टावर किराया		4.31		
	रोड कटिंग		76.00		
	विविध		20.05		
	मलवा डिपोजिट		0.07		
8	**नियमन से आय प्राधिकरण हिस्सा 60 प्रतिशत**	**300**	**711.52**	**500**	
I	नियमन से 60 प्रतिशत आय		709.53		
II	नियमन से ब्याज		1.99		
9	**हस्तान्तरण शुल्क**	**120**	**34.49**	**100**	
10	**नियमतिकरणः–** निर्माण अवधि विस्तार शुल्क (प्लॉट एवं क्वाटर)	**200**	**95.07**	**100**	
11	**अग्रिम समायोजन**	**500**	**189.86**	**500**	
	वाहन अग्रिम				
	भवन अग्रिम				
	कर्मचारी अस्थाई अग्रिम				
	विभागों की अस्थाई अग्रिम				
	सीवरेज				

	12	**धरोहर व अमानत, जीएसटी, आयकर रॉयल्टी**	**2000**	**2765.91**	**2500**	
		ठेकेदारों की धरोहर राशि		621.48		
		रंगमंच/सामुदायिक भवन धरोहर राशि (EMD)		20.32		
		ठेकेदारों की सुरक्षा राशि (SD)		350.53		
		भूखण्डधारियों की अमानत		641.69		
		पी.एल.डी		21.65		
		पी.जी		0.33		
		आयकर ठेकेदार		222.76		
		एस–जी.एस.टी		127.87		
		सी–जी.एस.टी		127.87		
		आई–जी.एस.टी		1.20		
		जी.एस.टी पैन		9.33		
		ठेकेदारों की जब्त SD/PG राशि		15.64		
		Fire Cess		0.49		
		व्यावसायिक कर		8.10		
		Short Deduction on I-TAX		0.09		
		रॉयल्टी		74.88		
		रॉयल्टी सेस		7.49		
		ठेकेदारो की रोकी गई राशि		22.71		
		लेबर सेस		123.49		
		RSMET		1.62		
		बेटरमेन्ट लेवी		9.44		
		पत्रकार कल्याण कोष		1.99		
		सम्वाद		11.33		
		अधिक भुगतान वसूली		19.40		
		ऑडिट वसूली ठेकेदार		0.17		
		पेंशन वसूली		0.94		
		वर्षा जल संग्रहण शुल्क		24.58		
		कार्मिक के वेतन में कटौती		298.52		
	13	**अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी के तहत कार्य**	**150**	**3.42**	**51**	
	14	**बी.एस.यू.पी**	**80**	**84.14**	**50**	
	15	**सरकारी एजेन्सी व वित्तीय संस्थाओं से ऋण**	**800**		**800**	

16	भूमि आवंटन से आय/मुख्यमंत्री जन आवास योजना भूमि शुल्क 10 प्रतिशत	**50**	**0.24**	**0**
17	नगर निगम को अधिक दी गयी राशि के समायोजन से प्राप्ति			**1000**
	योग - III	**14140**	**17321.72**	**14211**
	सर्व योग (I+II+III)	**32900**	**24872.15**	**29920**
	गत वर्ष की बचत	**14164.74**	**14326.36**	**15499.10**
	कुल योग	**47064.74**	**39198.51**	**45419.10**

वित्तीय वर्ष 2022–23 का स्वीकृत बजट एवं वास्तविक भुगतान तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 का आय व्ययक अनुमान (BE)

परिशिष्ट"ब"

राशि रूपये लाखों में

क्रसं	बजट मद	स्वीकृत बजट 2022–23	अप्रेल 2022 से मार्च 2023 वास्तविक व्यय	वित्तिय वर्ष 2023–24 प्रस्तावित व्यय
1	2	3	4	5
I	**RERA मद**	**2200**	**382.31**	**1500**
	रेरा योजनाओं पर व्यय			
1	विजयराजे सिधिंया (RERA)	500	25.41	
2	दौराई व्यावसायिक (RERA)	130	61.18	
3	गनाहेडा पुष्कर (RERA)	200	148.98	
4	फूस की कोठी (RERA)	60		
5	नारेली वेयरहाऊस (RERA)		5.09	
6	घूघरा वाणिज्यिक (RERA)		0.73	
8	माकडवाली (RERA)			
9	सूरजकुण्ड ईकॉलॉजिकल फॉर्म हाऊस (RERA)	470	95.24	
10	होकरा व्यावसायिक (RERA)	170	0.35	
11	लोहागल व्यावसायिक (RERA)		45.33	
12	राज्य सरकार को 20 प्रतिशत हिस्सा राशि	670		
II	**टाईड (tied)/Deposit Work**	**13000**	**8068.39**	**15090**
1	GCA में केमेस्ट्री लेब निर्माण		28.48	
2	ब्रह्मा मंदिर में रेम्प व सीढ़ी		52.45	

	निर्माण			
3	पुष्कर में प्रवेशद्वार/सेन्ट्रल पार्क निर्माण	500		345
4	पुष्कर में गुरूद्वारा साहिब में हॉल निर्माण कार्य		4.86	173
5	पुष्कर घाटो पर ड्रेन कार्य			601
6	पुष्कर (खरखेडी) में गौशाला निर्माण कार्य		53.24	
7	ब्रह्मा मंदिर में Sand Stone Pathway निर्माण		24.77	
8	कायड़ में मेडिकल कॉलेज निर्माण	8000	5776.79	10000
9	जे.एल.एन में सर्जिकल ब्लाक निर्माण	2627.86	1492.42	2200
10	जनाना हास्पिटल में गर्ल्स छात्रावास निर्माण		4.47	1000
11	चन्द्रवरदाई खेल मैदान के पास गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण	150	48.67	100
12	स्मार्ट सिटी डिपोजिट	372.14	91.82	50
13	JnNurm Sewerage कार्य	500		
14	सांसद कोष	100	20.63	100
15	विधायक कोष	450	469.79	500
16	भूमि अवाप्ति मुआवजा	300		
17	JLN में कलर एवं पेटिंग			11
18	खादी ग्राम उद्योग की चारदीवारी निर्माण			10
III	**ADA मद में व्यय**	**1600**	**1803.77**	**1820**
1	प्रशासन पर व्यय			
	वेतन		1127.79	
	कार्मिक वेतन कटौती		330.01	
	मेडिकल		4.46	
	टी.ए.		1.43	
	समर्पित/उपार्जित अवकाश		66.02	
	एक्सग्रेशिया/बोनस		24.93	
	पेंशन न्यास		249.13	
2	**कार्यालय व्यय**	**500**	**861.09**	**700**
	वेतन सुरक्षाकर्मी		87.08	
	सफाई		2.89	
	पारिश्रमिक अभिभाषक व कोर्ट कार्य		16.97	

	संविदा तकनीकि (जेईएन)/स्टॉफ		35.03		
	सत्कार व्यय		2.56		
	वाहन संधारण/सरकारी वाहन		84.54		
	संविदाकर्मी टाईप कार्य		77.79		
	छपाई/अन्य कार्य		15.03		
	फोटो स्टेट		0.68		
	विज्ञापन		418.61		
	टेलीफोन, मोबाईल		1.56		
	पानी		0.66		
	विद्युत व्यय कार्यालय		7.59		
	तकनीकि सलाहकार		1.14		
	स्टेशनरी		5.33		
	वर्दी		0.63		
	समाचार पत्र		0.09		
	चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट		2.01		
	विविध		0.03		
	जी.आई.एस ऑपरेटर		20.73		
	डाक टिकट		0.50		
	फर्नीचर/सी.सी टीवी/कम्प्यूटर प्रिन्टर	20	0.42		
	टेन्ट		6.89		
	वाहन व्यय किराया		71.97		
	विविध (खादी व्यय, अन्य)		0.36		
3	**योजना क्षेत्र के कार्यो हेतु भुगतान**	**3500**	**1748.11**	**3000**	
3.1	योजनाओ के निर्माण कार्यो का भुगतान एवं कर्मगारों के पारिश्रमिक भुगतान			2300	
	पंचशील नगर योजना		78.91		
	पंचशील ई–ब्लॉक योजना		100.25		
	हरिभाऊ उपाध्याय नगर (मुख्य) योजना		46.48		
	हरिभाऊ उपाध्याय नगर (विस्तार) योजना		174.96		
	बी.के कॉल नगर योजना		19.56		
	कोटडा योजना		18.59		
	चन्द्रवरदाई नगर योजना		92.53		
	चन्द्रवरदाई नगर खेल मैदान		3.31		

		महाराणा प्रताप नगर योजना		33.82		
		पृथ्वीराज नगर योजना		148.20		
		छतरी योजना		0.51		
		वैशाली नगर योजना		4.44		
		अर्जुनलाल सेठी नगर योजना		95.64		
		ट्रांसपोर्ट नगर		103.01		
		कांकरदा भूणाबाय		0.53		
		जे.पी. नगर योजना		35.20		
		डी.डी. पुरम योजना		608.32		
		गणेश गुवाड़ी		5.60		
		विद्युत, जल बिल व विद्युत, जल सम्बन्धित कार्यो का भुगतान		0.40		
		विविध (डिवाडर/कलर पेन्टिंग /नाली निर्माण)		177.85		
	3.2	योजना क्षेत्र में सड़क निर्माण			500	
	3.3	योजना क्षेत्र में बरसाती नालो का निर्माण/मरम्मत/ड्रेन कार्य			200	
	4	**गैर योजना के निर्माण कार्यो का भुगतान**	**4500**	**2150.1**	**3000**	
	4.1	गैर योजना क्षेत्र में विविध निर्माण कार्य			1400	
		पृथ्वीराज स्मारक		6.24		
		राजीव स्मारक		14.91		
		दाहरसेन चाणक्य/झलकारी बाई स्मारक व पार्क		10.70		
		जवाहर रंगमंच		4.54		
		विद्युत बिल व विद्युत कार्यो का भुगतान		700.23		
		पानी बिल		2.01		
		विकास कार्य		1215.80		
		विविध (क्रेन आपूर्ति, सर्वे कार्य, पेटिंग अन्य)		3.89		
		उर्स/मोर्हरम		66.12		
		महाराणा प्रताप स्मारक		8.84		
		पुष्कर मेला		0.79		
		विविध व्यय		0.31		
		सर्वे पेन्टिंग		78.63		
		पुष्कर गैर योजना कार्य		37.09		

	4.2	विभिन्न स्थानो पर खेल मैदान निर्माण			500	
	4.3	पैराफेरी ग्रामों में जिम निर्माण			500	
	4.4	मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण			300	
	4.5	जवाहर रंगमंच का जीर्णोद्धार			300	
	5	**प्राधिकरण भवन निर्माण**	**1200**	**294.69**	**1000**	
	6	**कृषि भूमि नियमन क्षेत्र में विकास कार्य**	**500**		**500**	
	7	**प्राधिकरण कार्यालय भवन तथा अन्य निर्माणों पर भुगतान (न्यास बंगला/आवास)**	**50**	**27.26**	**50**	
	8	**ऋण पुर्नभुगतान**	**300**	**318.31**	**300**	
	9	**ऋण पर ब्याज**	**100**	**59.19**	**50**	
	10	**नगर निगम को 15 प्रतिशत राशि का भुगतान/समायोजन**	**1300**	**3461.44**		
	11	**नियमन वापसी, हस्तान्तरण राशि वापसी, नियमतिकरण वापसी**	**20**	**5.84**	**20**	
	12	**राज्य सरकार को सरकारी भूमि विक्रय का हिस्सा 20 प्रतिशत**	**700**	**1220.98**	**1200**	
	13	**शहरी जमाबन्दी (U.A) वापसी**	**5**			
	14	**विविध भुगतान**	**15**	**21.49**	**20**	
		सेवन वंडर्स		1.83		
		प्रोसेसिंग फीस		2.85		
		भू–उपयोग परिवर्तन/उपविभाजन		0.48		
		आक्सीजन प्लाट		14.56		
		भूमि विक्रय वापसी	100		**50**	
		आवासगृह किराया/दाहरसेन/रंगमंच/कम्यूनिटी हॉल		1.77		
	15	**सहभागिता अंशदान प्राधिकरण** सर्जिकल वार्ड/पुष्कर ड्रेन कार्य/खेल नगर में गर्ल्स हॉस्टल/ JLN में पेन्टिग			**1512**	
	16	**शहरी विकास निधि II (RUDF)**		**500**	**500**	
	17	**अस्थाई अग्रिम**	**500**	**253.71**	**1000**	
		अन्य विभाग				

		PHED				
		AVVNL, TATA POWER				
	18	**धरोहर व अमानत, जीएसटी आयकर, रॉयल्टी, कार्मिक वेतन कटौती**	**2000**	**2102.22**		
		आयकर ठेकेदार		217.23		
		एस. जीएसटी ठेकेदार		131.01		
		सी. जीसएटी ठेकेदार		131.01		
		व्यावसायिक सेवाओं पर आयकर		8.44		
		TDS I-GST		1.20		
		पी.जी		0.08		
		पी.एल.डी		0.82		
		आयकर अन्य		5.06		
		सामुदायिक भवन अमानत/धरोहर राशि		20.59		
		भूखण्डधारियों की अमानत		634.46		
		जी.एस.टी पेन		9.29		
		EMD Tender/Land fee		3.47	**2000**	
		रोकी गई राशि		25.02		
		सम्वाद		12.76		
		वर्षा जल संग्रहण		1.50		
		रॉयल्टी		68.17		
		पेंशन उपादान		45.52		
		रॉयल्टी सेस		6.82		
		RSMET		1.49		
		ठेकेदारों की अमानत राशि		156.29		
		ठेकेदारों की धरोहर राशि		491.47		
		ब्याज आयकर		13.12		
		लेबर सेस		115.14		
		पत्रकार कल्याण कोष		1.98		
		बैंक चार्ज		0.01		
		पूंजीगत व्यय		0.27		
	19	STP Pushkar /Khanpura		**307.45**	**500**	
	20	JNNRUM (BSUP)		**111.27**	**150**	
	21	**अर्फोडेबल हाऊसिंग पॉलिसी के तहत कार्य**	**200**	**2.19**	**150**	
	22	**स्मार्ट सिटी हिस्सा राशि**	**800**		**800**	

23	फायरसेस (स्वायत्त शासन विभाग को हस्तान्तरित)	30		28
	योग III	17940	15249.11	18350
	सर्व योग (I+II+III)	33140	23699.81	34940
	गत वर्ष की बचत	13924.74	15498.70	10479.10
	कुल योग	47064.74	39198.51	45419.10

बजट टिप्पणी

वित्तिय वर्ष 2022–23 के वास्तविक प्राप्तियॉ भुगतान एवं वित्तिय वर्ष 2023–24 की प्रस्तावित आय –

1. रेरा मदः–

वित्तीय वर्ष 2022–23 में रेरा मद में राशि रू. 6700 लाख की प्राप्ति का अनुमान किया गया था जिसके विरूद्ध वित्तिय वर्ष 2022–23 तक राशि रू. 2446.95 की प्राप्तियॉ हुई है। जिसमे विजयाराजे सिन्धिया योजना से 0.67 लाख दौराई व्यावसायिक योजना से 66.59 लाख, गनाहेडा पुष्कर योजना से 2200.64 लाख एवं लोहागल व्यावसायिक योजना से 179.05 लाख की प्राप्ति हुई है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए रेरा मद में पंजीबद्ध योजनाओ यथा सूरजकुण्ड इकोलोजिकल एवं फार्म हाउस, होकरा फार्म हाऊस एवं रिसोर्ट योजना में भूखण्डों की बिक्री से एवं लोहागल व्यावसायिक योजना में विक्रय किये गये भूखण्डो की 35 एवं 50 प्रतिशत राशि से रूपये 2500 लाख की आय का प्रावधान रखा गया है।

2. टाईड (tied) मदः– (डिपोजिट मद)

1. सांसद कोष :–

सांसद मद में निर्माण कार्यों की स्वीकृति हो जाने से वित्तीय वर्ष 2022–23 में 100 लाख की प्राप्ति का अनुमान रखा गया था। जिसके विरूद्ध राशि रूपये 37.50 लाख की प्राप्ति हुई। वित्तिय वर्ष 2023–24 में राशि रूपये 100 लाख का प्राप्ति का अनुमान है।

2. विधायक कोष :–

वर्ष 2022–23 विधायक मद में राशि 500 लाख के कार्यो का प्रावधान रखा गया था जिसमे से मार्च 2023 तक राशि 696.04 लाख रूपये प्राप्त हुए है। आगामी वर्ष 2023–24 के लिए उक्त मद में राशि रू. 500 लाख का प्राप्ति का अनुमान रखा गया है।

3. निगम निगम :–

वित्तिय वर्ष 2023–24 में नगर निगम डिपोजिट मद के विभिन्न कार्यो हेतु राशि रूपये 20.00 लाख की प्राप्ति का प्रस्ताव रखा है।

मुख्यमंत्री बजट घोषणा :–

राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2021–22 के अनुसार पुष्कर में पर्यटन विकास हेतु 500 लाख की घोषणा की गई है, जिसके तहत पुष्कर में पर्यटन विकास के निम्न कार्य कराये जा रहे है :–

4. पुष्कर में गुरूद्वारा साहब में हॉल निर्माण :–

बजट घोषणा वर्ष 2021–22 से पुष्कर में गुरूद्वारा साहिब में हॉल निर्माण हेतु राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा राशि रूपये 213.00 लाख का बजट स्वीकृत किया गया था जिसमें से राशि रूपये 40.00 लाख वित्तिय वर्ष 2021–22 में ही प्राप्त हो चुकी है शेष राशि रूपये 173.00 लाख वित्तिय वर्ष 2023–24 में प्राप्ति का अनुमान है।

5. पुष्कर में प्रवेशद्वार/सेन्ट्रल पार्क निर्माण :–

पुष्कर में बजट घोषणा वर्ष 2021–22 से प्रवेशद्वार निर्माण हेतु राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा राशि रूपये 140.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया था, जिसमें से वित्तिय वर्ष 2021–22 में राशि रूपये 45.00 लाख का बजट प्राप्त हुआ था। कार्य प्रगति पर है वित्तिय वर्ष 2023–24 में शेष राशि रूपये 95 लाख प्राप्ति का अनुमान किया गया है।

पुष्कर में बजट घोषणा वर्ष 2021–22 से सेन्ट्रल पार्क निर्माण हेतु राशि रूपये 210 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है जिसकी राशि राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी, राशि अप्राप्त है कुल राशि रूपये 210 लाख वित्तिय वर्ष 2023–24 में प्राप्त होने का अनुमान किया गया है। इस प्रकार उक्त कार्यो हेतु वर्ष 2023–24 में राशि रूपये 95+210 कुल 305 लाख प्राप्ति का अनुमान है।

6. पुष्कर में ड्रेन कार्य :–

मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा संख्या 273 वर्ष 2022–23 में पुष्कर सरोवर में गन्दे पानी की आवक रोकने हेतु ड्रेन कार्य हेतु राशि रूपये 1100 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है जिसकी 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार तथा 50 प्रतिशत राशि प्राधिकरण द्वारा वहन की जानी है। कार्य की निविदा की जा चुकी है निविदा दर BSR से अधिक आने से कार्य पर राशि रूपये 1202 लाख व्यय होने की सम्भावना है जिसमें से राज्य सरकार का अंशदान राशि रूपये 601 लाख बनता है राशि रूपये 601 लाख वित्तिय वर्ष 2023–24 में राज्य सरकार से प्राप्ति का अनुमान है।

7. पुष्कर खरखेडी में गौशाला निर्माण कार्य :–

ब्रह्मा मंदिर ट्रस्ट से प्राप्त राशि रूपये 100 लाख पुष्कर (खरखेडी) में गौशाला निर्माण हेतु वित्तिय वर्ष 2021–22 में प्राप्त हुये थे, कार्य पूर्ण हो चुका है।

8. ब्रह्मा मंदिर में रेम्प एवं सीढ़ियो का निर्माण :–

ब्रह्मा मंदिर ट्रस्ट से डिपोजिट मद में राशि रूपये 58.00 लाख ब्रह्मा मंदिर में रेम्प एवं सीढियों के निर्माण हेतु स्वीकृत किये गये थे जिसमे से राशि रूपये 52.00 लाख वित्तिय वर्ष 2022–23 में प्राधिकरण कोष में प्राप्त हो चुके है कार्य पूर्ण हो चुका है।

9. ब्रह्मा मंदिर में Sand Stone Pathway निर्माण :–

ब्रह्मा मंदिर ट्रस्ट द्वारा डिपोजिट मद के कार्य हेतु राशि रूपये 78.50 लाख ब्रह्मा मंदिर में Sand Stone Pathway निर्माण हेतु स्वीकृत किये गये सम्पूर्ण राशि वित्तिय वर्ष 2021–22 में प्राप्त हो चुकी है कार्य पूर्ण हो चुका है।

10. कायड़ में मेडिकल कॉलेज निर्माण :–

राज्य सरकार के आदेशानुसार कायड में नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जिसकी लागत राशि रूपये 192.91 करोड़ है प्रोजेक्ट का समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को कार्यकारी एजेन्सी बनाया गया है। उक्त मद में वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्राप्त राशि रू. 2000 लाख की प्राप्ति हो चुकी थी, वित्तीय वर्ष 2022–23 में राशि रूपये 3656. 69 करोड़ का भुगतान SNA खाते से संवेदको को कर दिया गया है। कार्य प्रगति पर है, वित्तिय वर्ष 2023–24 में उक्त मद में SNA खाते के माध्यम से राशि रूपये 10000 लाख प्राप्ति का अनुमान है।

11. जे.एल.एन में सर्जिकल ब्लाक निर्माण :–

जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में मल्टीस्टोरी सर्जिकल वार्ड बनाने हेतु अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को कार्यकारी एजेन्सी बनाया गया है, कुल 4500 लाख के प्रोजेक्ट में राशि रू. 2000 लाख DMFT द्वारा, राशि रूपये 1200 लाख स्मार्ट सिटी लिमिटेड, राशि रूपये 800 लाख अजमेर विकास प्राधिकरण एवं 500 लाख चिकित्सा विभाग द्वारा बजट प्रावधान रखा गया है जिसमें में राशि रू. 2000 लाख DMFT एवं 1200 लाख स्मार्ट सिटी लिमिटेड से एवं 150 लाख चिकित्सा विभाग से कुल 3350 लाख वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्राप्त हो चुकी है। राशि रूपयें 350 लाख आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 में चिकित्सा विभाग में प्राप्त करने का अनुमान किया गया है।

12. जनाना हॉपिस्टल में गर्ल्स छात्रावास निर्माण :–

जनाना हास्पिटल में गर्ल्स होस्टल का निर्माण मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022–23 संख्या 13(2) से अजमेर में जनाना हास्पिटल में गर्ल्स छात्रावास निर्माण हेतु घोषणा की गई है जिसमें अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को कार्यकारी एजेन्सी बनाया गया है मौके पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। कार्य की स्वीकृत सम्पूर्ण राशि रूपये 1500 लाख चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा वहन की जानी है, वित्तिय वर्ष 2022–23 में राशि रूपये 500 लाख प्राप्त हो चुकी है शेष राशि रूपये 1000 लाख वित्तिय वर्ष 2023–24 की प्राप्ति का अनुमान किया गया है।

13. स्मार्ट सिटी डिपोजिट कार्य :–

वित्तिय वर्ष 2022–23 में स्मार्ट सिटी द्वारा वैशाली नगर में लाईट कार्य हेतु राशि रूपये 20.18 लाख प्राधिकरण को हस्तान्तरित किये गये थे कार्य पूर्ण हो चुका है। वित्तिय वर्ष 2023–24 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न कार्यो हेतु राशि रूपये 50.00 लाख की प्राप्ति का प्रस्ताव रखा गया है।

14. चन्द्रवरदाई खेल मैदान में गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण :–

राज्य सरकार के अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा राशि रू. 300 लाख की लागत से चन्द्रवरदाई खेलनगर के पास बालिकाओं के लिए छात्रावास निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके अन्तर्गत जनजाति कल्याण विभाग द्वारा राशि रूपये 100 लाख DMFT द्वारा राशि 100 लाख तथा अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा 100 लाख वहन किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में राशि रूपये 40.00 लाख DMFT एवं राशि रूपये 50 लाख जनजाति कल्याण विभाग से प्राप्त हो चुकी है शेष राशि रूपये 60 लाख DMFT से तथा राशि रूपये 50 लाख जनजाति कल्याण विभाग से कुल राशि रूपये 110 लाख वित्तिय वर्ष 2023–24 में प्राप्ति का अनुमान है।

15. जे.एल.एन में कलर एवं पेटिंग कार्य :–

जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर के ग्राउण्ड फ्लोर की मरम्मत एवं पेंटिग कार्य हेतु जिला कलक्टर अजमेर द्वारा रूपये 22 लाख की स्वीकृति प्रदान की है, उक्त कार्य सहभागिता के आधार पर कराया जाना है जिसमें से राशि रूपये 11.00 लाख जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय द्वारा तथा राशि रूपये 11.00 लाख अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर द्वारा वहन की जानी है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय द्वारा राशि रूपये 11.00 लाख प्राधिकरण को हस्तान्तरित की जा चुकी है। कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जायेगा।

16. खादी ग्रामोद्योग की चारदीवारी निर्माण :–

राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड जयपुर द्वारा पंचशील स्थित खादी प्लाजा की भूमि पर चारदीवारी गेटो पर लोहे के दरवाजे लगाने, चारदीवारी की रंगाई पुताई/पेन्ट आदि के लिए राशि रूपये 10.00 लाख अजमेर विकास प्राधिकरण कोष में हस्तान्तरित की गई है, राशि प्राधिकरण कोष में जमा हो चुकी है, कार्य वित्तिय वर्ष 2023–24 में पूर्ण कराया जायेगा।

3. ADA मद के अन्तर्गत प्राप्तियाँ:–

1. भूमि विक्रय से आय:–

वित्तीय वर्ष 2022–23 में भूमि विक्रय में राशि रू. 8500 लाख की प्राप्तियों का अनुमान किया गया था, जिसके विरूद्ध मार्च 2023 तक राशि रू. 9169.58 लाख की प्राप्ति हुई।

आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राधिकरण की योजनाओं हरिभाऊ

उपाध्याय नगर मुख्य/विस्तार, बी.के. कौल, कोटडा, चन्द्रवरदाई नगर, महाराणा प्रताप नगर, पृथ्वीराज नगर, अर्जुनलाल सेठी नगर, इत्यादि में भूखण्डों की नीलामी व नीलाम किये गये 35 व 50 प्रतिशत राशि से राशि रू. 6500 लाख की प्राप्ति का अनुमान किया गया है।

2. आवास गृह (किराया क्रय पद्धति)

प्राधिकरण के टोडरमल लेन स्थित अधिकारी आवास, छतरी योजना में स्थित आवास तथा पंचशील, कोटड़ा, अर्जुनलाल, जे.पी. नगर, आनासागर सरक्यूलर रोड से आवास किराया प्राप्त होता है। वित्तिय वर्ष 2022-23 में उक्त मद में राशि रूपये 10 लाख की प्राप्ति का अनुमान रखा गया था जिसके विरूद्ध माह मार्च 2023 तक राशि रूपये 3.49 लाख की प्राप्ति हुई है। वित्तिय वर्ष 2023-24 में राशि रूपये 10 लाख की प्राप्ति का अनुमान है।

3. नगर सौंदर्यीकरण पृथ्वीराज स्मारक, दाहरसेन, जवाहर रंगमंच, विश्राम स्थली एवं उद्यानों से आयः-

प्राधिकरण द्वारा जवाहर रंगमंच, सामुदायिक भवन, सांझी छत, बैक किराया, पृथ्वीराज स्मारक, महाराणा प्रताप स्मारक, लेक फ्रंट डवलपमेन्ट (6 दुकाने) से वित्तिय वर्ष 2022-23 में राशि रूपये 100 लाख की प्राप्ति का अनुमान किया गया था जिसके विरूद्ध मार्च 2023 तक राशि रूपये 101.24 लाख की प्राप्ति हुई है। अब इन असेट एवं सेवन वंडर्स के किराये में वित्तिय वर्ष 2023-24 में राशि रूपये 150 लाख की प्राप्ति का अनुमान किया गया है।

4. शहरी जमाबन्दी :-

राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग द्वारा विभिन्न परिपत्रो से शहरी जमाबन्दी की प्रक्रिया सरल की है तथा मूल राशि एवं ब्याज में छूट प्रदान की है। गत वर्ष उक्त मद में 660 लाख के बजट प्रावधान के विरूद्ध 31 मार्च 2023 तक राशि रू. 2054.90 लाख प्राप्त की थी। वित्तिय वर्ष 2023-24 के लिये राशि रूपये 850 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है।

5. ब्याज से आयः-

गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में ब्याज से राशि रूपये 150 लाख प्राप्त करने का अनुमान किया गया था जिसे विरूद्ध राशि रूपये 120.06 लाख ब्याज प्राप्ति हुई है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ब्याज से राशि रूपये 100 लाख प्राप्ति का अनुमान किया गया है।

6. विविध आयः-

प्राधिकरण को आवेदन पत्र बिक्री, पेनेल्टी, अनापति प्रमाण-पत्र, विकास शुल्क, भूखण्डों के उपविभाजन एवं पुर्नगठन, भू-उपयोग परिवर्तन, रोडकटिंग इत्यादि मदों में आय प्राप्त होती है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में उक्त मद में राशि रूपये 500 लाख की प्राप्ति का अनुमान किया गया था, जिसके विरूद्ध राशि रूपये 1987.70 लाख की प्राप्ति हुई थी। इस मद वित्तीय वर्ष 2023-24 में राशि रूपये 1000 लाख प्राप्ति का अनुमान रखा गया है।

7. नियमन से आय :–

वित्तिय वर्ष 2022–23 में विभिन्न प्रकार के नियमन से राशि रूपये 300 लाख की प्राप्ति का अनुमान रखा गया था, जिसके विरूद्ध राशि रूपये 711.52 लाख की प्राप्ति हुई है वित्तिय वर्ष 2023–24 में राशि रूपये 500 लाख की प्राप्ति का अनुमान है।

8. हस्तान्तरण शुल्क :–

वित्तिय वर्ष 2022–23 में भूखण्डो के हस्तान्तरण शुल्क से राशि रूपये 120 लाख की प्राप्ति का अनुमान किया गया था, जिसके विरूद्ध माह मार्च 2023 तक राशि रूपये 34.49 लाख की प्राप्ति हुई है, वित्तिय वर्ष 2023–24 में हस्तान्तरण शुल्क से राशि रूपये 100 लाख की प्राप्ति का अनुमान है।

9. नियमतिकरण :–

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं एवं नियमन किये गये भूखण्डो के नियमतिकरण, अवधि विस्तार, नामान्तरण शुल्क से वित्तिय वर्ष 2022–23 में राशि रूपये 200 लाख की प्राप्ति का अनुमान किया गया था, जिसके विरूद्ध वित्तिय वर्ष 2022–23 में राशि रूपये 95.07 लाख की प्राप्ति हुई है। वित्तिय वर्ष 2023–24 में इस मद में राशि रूपये 100 लाख की प्राप्ति का अनुमान रखा गया है।

10. अग्रिम राशि :–

प्राधिकरण द्वारा योजना एवं गैर योजना क्षेत्र में पानी एवं विद्युत सम्बन्धी कार्य टाटा पावर अजमेर, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से कराये जाते है। इन कार्यों हेतु विभागों को अग्रिम दिया जाता है। जिसे UC/CC के आधार पर समायोजित किया जाकर शेष राशि प्राप्त की जाती है वित्तिय वर्ष 2022–23 में राशि रूपये 189.86 लाख का समायोजन किया गया। वित्तिय वर्ष 2023–24 के लिये अग्रिम राशि रूपये 500 लाख प्राप्ति/समायोजन का प्रावधान किया गया है।

11. धरोहर व अमानत, जीएसटी, आयकर रॉयल्टी :–

प्राधिकरण में पंजीबद्ध ठेकेदारों से निर्माण कार्य हेतु धरोहर राशि, सामुदायिक भवनों की अमानत राशि, आयकर, जी.एस.टी, भूखण्डधारियों की अमानत, सेस, पत्रकार कल्याण कोष, कार्मिक वेतन कटौती, इत्यादि हेतु वित्तिय वर्ष 2022–23 में राशि रूपये 2000 लाख की प्राप्ति का अनुमान रखा गया था। जिसके विरूद्ध राशि रूपये 2765.91 लाख की प्राप्ति हुई है वित्तिय वर्ष 2023–24 में राशि रूपये 2500 लाख की प्राप्ति का अनुमान है।

12. अफोर्डेबल हाउसिंग :–

अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत निर्मित आवासों के पुर्ननिर्माण एवं आधारभूत सुविधा प्रदान कराने का कार्य प्रगति पर है, जिसके शीघ्र पूर्ण होने की सम्भावना है। उक्त निर्मित आवासों के आवंटन से वित्तीय वर्ष 2023–24 मे 51 लाख की आमद का प्रस्ताव रखा गया है।

13. बी.एस.यूपी :–

BSUP योजनान्तर्गत अर्द्धनिर्मित आवासों का निर्माण कार्य पूरा कराया जा रहा है। इन आवास के पूर्ण होने पर आवंटन किया जायेगा वित्तिय वर्ष 2022–23 में इस मद में राशि रूपये 84.14 लाख की प्राप्ति हुई थी। वित्तीय वर्ष 2023–24 में राशि रू. 50 लाख की आय प्रस्तावित की गई है।

14. सरकारी एजेसिंयो एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋणः–

प्राधिकरण के महत्वपूर्ण योजनाओं में वित्त की कमी होने पर वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सरकारी एजेसिंयो/वित्तियों संस्थाओं से 800 लाख ऋण लेने का प्रावधान रखा गया है।

15. नगर निगम को अधिक दी गयी राशि के समायोजन से प्राप्त राशि रूपये 1000 लाख :–

प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार नगर निगम अजमेर को अजमेर स्मार्ट सिटी परियोजना के अन्तर्गत नगर निगम की अंशदान राशि रूपये 3000 लाख का भुगतान स्मार्ट सिटी लिमिटेड अजमेर को किया गया है। आदेशानुसार उक्त राशि का समायोजन प्राधिकरण द्वारा नगर निगम को देय नगर निगम सीमा क्षेत्र में विक्रय किये गये भूखण्डों की 15 प्रतिशत राशि से समायोजन किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में उक्त अग्रिम राशि रूपयें 1000 लाख के समायोजन का अनुमाान है।

वित्तिय वर्ष 2022–23 के वास्तविक भुगतान एवं वित्तिय वर्ष 2023–24 के प्रस्तावित व्ययः–

1. रेरा मदः–

रेरा योजनाओं पर भुगतान मद में वित्तिय वर्ष 2022–23 में राशि रू. 2200 लाख के भुगतान का बजट स्वीकृत किया गया था, जिसके विरूद्व वित्तिय वर्ष 2022–23 में तक राशि रूपये 382.31 लाख का भुगतान किया गया है।

वित्तिय वर्ष 2023–24 में रेरा योजना विजयाराजे सिंधिया योजना में जल/विद्युत सुरजकूण्ड योजना, होकरा होटल एवं रिसोर्ट योजना के निर्माण कार्यो पर राशि रूपये 1500 लाख के भुगतान का प्रावधान रखा गया है।

2. टाईड (tied) मद अनुदान प्राप्ति (Deposit work)

1. जी.सी.ए में केमेस्ट्री लेब निर्माण :–

डिपोजिट मद के अन्तर्गत शिरोमणि पृथ्वीराज राजकीय महाविद्यालय में केमेस्ट्री लेब निर्माण हेतु वित्तिय वर्ष 2021–22 में राशि रूपये 71 लाख प्राप्त हुये थे। वित्तिय वर्ष 2022–23 में उक्त मद में राशि रूपये 28.48 लाख का भुगतान कर शेष राशि लौटा दी गयी है कार्य पूर्ण हो चुका है।

2. ब्रह्मा मंदिर में रेम्प व सीढ़ी निर्माण :–

ब्रह्मा मंदिर ट्रस्ट द्वारा डिपोजिट मद में राशि रूपये 52.00 लाख स्वीकृति के विरूद्ध 2022–23 वित्तिय वर्ष में राशि रूपये 52.45 लाख व्यय की जा चुकी है कार्य पूर्ण हो चुका है।

3. पुष्कर में प्रवेश द्वार/सेन्ट्रल पार्क निर्माण कार्य :–

पुष्कर में राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा पुष्कर में प्रवेश द्वार निर्माण हेतु राशि 140 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है तथा कार्यकारी एजेन्सी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को बनाया गया है, कार्य प्रगति पर है जिसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा। वित्तिय वर्ष 2022–23 में उक्त कार्य पर राशि रूपये 135 लाख का भुगतान किये जाने का प्रावधान रखा है।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा पुष्कर में सेन्ट्रल पार्क निर्माण हेतु राशि रू. 210 लाख का बजट स्वीकृत कर अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को कार्यकारी एजेन्सी बनाया गया है। सेन्ट्रल पार्क का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। वित्तिय वर्ष 2023–24 में कार्य पूर्ण करने व राशि रू. 210 लाख का भुगतान किये जाने का प्रावधान रखा गया है। इस प्रकार दोनो कार्यो पर वित्तिय वर्ष 2023–24 में 345 लाख व्यय का अनुमान है।

4. पुष्कर में गुरूद्वारा साहिब में हाल निर्माण कार्यः–

राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा पुष्कर में गुरूद्वारा साहिब में हाल निर्माण हेतु डिपोजिट मद में राशि रू. 213 लाख का बजट स्वीकृत कर अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को कार्यकारी एजेन्सी बनाया गया है। कार्य प्रगति पर है वित्तिय वर्ष 2022–23 में उक्त कार्य के विरूद्ध राशि रूपये 4.86 लाख व्यय की जा चुकी है। वित्तिय वर्ष 2023–24 में पुष्कर में गुरूद्वारा साहिब में हाल निर्माण का कार्य पूर्ण कर राशि रूपये 173 लाख के भुगतान का प्रावधान रखा है।

5. पुष्कर घाटो पर ड्रेन कार्य :–

मुख्यमंत्री बजट घोषणा संख्या 273 वर्ष 2022–23 में पवित्र पुष्कर सरोवर में गन्दे पानी की आवक रोकने हेतु ड्रेन कार्य के लिए राशि 1100 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है उक्त कार्य हेतु बजट सहभागिता आधारित है घोषणा अनुसार 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार एवं 50 प्रतिशत राशि अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा वहन की जानी है कार्य की निविदायें की जा चुकी है अनुमानित तकमीने से निविदा दर अधिक होने से कार्य पर राशि रू 1202 लाख व्यय होना प्रस्तावित है। कार्य हेतु राज्य सरकार का अंशदान 601 लाख बनता है शेष राशि अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा वहन की जायेगी। इसलिए राशि रू 601 लाख डिपोजिट मद से व्यय का प्रावधान रखा गया है।

6. पुष्कर (खरखेडी) में गौशाला निर्माण कार्य :–

ब्रह्मा मंदिर ट्रस्ट के सहयोग से डिपाजिट मद में पुष्कर खरखेडी में गौशाला निर्माण हेतु अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को कार्यकारी एजेन्सी बनाया गया था वित्तिय वर्ष 2022–23 में गौशाला निर्माण पर राशि रूपये 53.24 लाख का भुगतान किया जा चुका है कार्य पूर्ण हो चुका है।

7. ब्रह्मा मंदिर में Sand Stone Pathway निर्माण :–

ब्रह्मा मंदिर ट्रस्ट द्वारा ब्रह्मा मंदिर में **Sand Stone Pathway** हेतु राशि रूपये 78.50 लाख का बजट वित्तिय वर्ष 2021–22 में स्वीकृत किया गया था वित्तिय वर्ष 2022–23 में उक्त कार्य पर राशि रूपये 24.77 लाख व्यय की गयी है कार्य पूर्ण हो चुका है।

8. कायड़ में मेडिकल कॉलेज निर्माण :–

मुख्यमंत्री बजट घोषणा संख्या 12 वर्ष 2021–22 के अनुसार कायड़ अजमेर में नया मेडिकल कालेज बन रहा है जिसकी लागत राशि रू. 19291 लाख है। प्रोजेक्ट की समस्त राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी है कार्य हेतु अजमेर विकास प्राधिकरण को कार्यकारी एजेन्सी बनाया गया है कार्य पर वित्तिय वर्ष 2022–23 में राशि रूपये 5776.79 लाख व्यय की जा चुकी है, वित्तिय वर्ष में राशि रू. 10000 लाख के भुगतान का प्रावधान रखा गया है।

9. जे.एल.एन में सर्जिकल ब्लाक निर्माण :–

जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में सर्जिकल ब्लाक का निर्माण हेतु सहभागिता के आधार पर स्मार्ट सिटी, खनि विभाग, चिकित्सा शिक्षा सेवा तथा अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर द्वारा बजट सहयोग किया गया है। कार्य पर वित्तिय वर्ष 2022–23 में राशि रूपये 1492.42 लाख व्यय किये जा चुके है। कार्य वित्तिय वर्ष 2023–24 में पूर्ण किया जाना है, इस हेतु राशि रू. 2200 लाख व्यय का प्रस्ताव किया गया है।

10. जनाना हॉस्पिटल में गर्ल्स हॉस्टल निर्माण :–

मुख्यमंत्री बजट घोषणा संख्या 13(2) वर्ष 2021–22 के अनुसार अजमेर स्थित जनाना हास्पिटल में गर्ल्स हास्टल निर्माण हेतु राशि रू. 1500 लाख स्वीकृति की गयी है समस्त राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी है अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को कार्यकारी एजेन्सी बनाया गया है कार्य प्रगतिरत है। वित्तिय वर्ष 2022–23 में कार्य पर राशि रूपये 4.47 लाख का भुगतान किया जा चुका है वित्तिय वर्ष 2023–24 में राशि रू. 1000 लाख के भुगतान का प्रावधान किया गया है।

11. चन्द्रवरदाई खेल मैदान में गर्ल्स हॉस्टल निर्माण :–

जनजाति क्षेत्रीय कल्याण विभाग द्वारा राशि रू. 300 लाख की लागत से चन्दरवरदाई नगर खेलनगर के पास बालिकाओं के लिए छात्रावास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है उक्त कार्य सहभागिता के आधार पर कराया जाना है जिसके अन्तर्गत राशि रू. 100 लाख जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग राशि रू. 100 लाख खनि विभाग (DMFT) द्वारा तथा राशि रू. 100 लाख अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा वहन की जानी है। कार्य प्रगति पर है जिसके वित्तिय वर्ष 2023–24 में पूर्ण होने की सम्भावना है इस डिपोजिट मद से राशि रू. 120 लाख के व्यय का प्रावधान किया गया है वित्तिय वर्ष 2022–23 में कार्य पर 48.67 लाख का व्यय किया जा चुका है। वित्तिय वर्ष 2023–24 में उक्त मद पर 100 लाख रूपये भुगतान करने का प्रावधान रखा गया है।

12. स्मार्ट सिटी डिपोजिट :–

वित्तिय वर्ष 2022–23 को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत शहर के छह प्रमुख स्थानो पर वाई फाई लगाने हेतु राशि रूपये 70.90 लाख तथा वैशाली नगर में लाईट लगाने हेतु राशि रूपये 20.91 लाख कुल 91.82 लाख व्यय किये गये। वित्तिय वर्ष 2023–24 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत राशि रूपये 50 लाख व्यय का प्रावधान रखा गया है।

13. सांसद कोष :–

माननीय सांसदों द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास (MPLAD) के कार्यो हेतु अजमेर विकास प्राधिकरण को कार्यकारी एजेन्सी बनाकर डिपोजिट मद के कार्य कराये जाते है। वित्तिय वर्ष 2022–23 में सांसद मद (MPLAD) में राशि रूपये 20.63 लाख का भुगतान किया गया है। वित्तिय वर्ष 2023–24 में इस मद राशि रू. 100 लाख का भुगतान किये जाने का प्रावधान रखा है।

14. विधायक कोष :–

माननीय विधायकों द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास (MLALAD) के अधिकांश निर्माण कार्यो में अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को कार्यकारी एजेन्सी बनाकर डिपोजिट मद में कार्य कराया जाता है। जिन पर राशि रूपये 469.79 लाख का भुगतान किया गया है। वित्तिय वर्ष 2023–24 में राशि रू. 500 लाख का भुगतान का प्रावधान रखा है।

15. JLN में कलर एवं पेटिंग :–

जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर के ग्राउन्ड फ्लोर की मरम्मत एवं कलर/पेन्टिंग के लिए जिला कलक्टर अजमेर द्वारा राशि रूपये 22.00 लाख का व्यय स्वीकृत किया है जिसमें से राशि रूपये 11.00 लाख जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय तथा राशि रूपये 11.00 लाख वित्तिय वर्ष 2023–24 में व्यय का अनुमान है।

16. खादी ग्रामोद्योग की चारदीवारी निर्माण :–

राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड जयपुर द्वारा पंचशील स्थित खादी प्लाजा की भूमि पर चारदीवारी गेटो पर लोहे के दरवाजे लगाने, चारदीवारी की रंगाई पुताई/पेन्ट आदि के लिए राशि रूपये 10.00 लाख अजमेर विकास प्राधिकरण कोष में हस्तान्तरित की गई है, राशि प्राधिकरण कोष में जमा हो चुकी है, कार्य वित्तिय वर्ष 2023–24 में पूर्ण कराया जायेगा।

1. ADA मद के अन्तर्गत भुगतान सम्बन्धित बजट टिप्पणी निम्न है:–

प्राधिकरण को कार्मिकों को वेतन, पेंशन अंशदान, यात्रा व्यय, चिकित्सा व्यय, समर्पित अवकाश/उपार्जित अवकाश, बोनस, एक्सग्रेशिया उपहार उपादान, पेंशन, निर्वाह भत्ता इत्यादि के लिए वित्तिय वर्ष 2022–23 में 1600 लाख के व्यय का प्रावधान रखा गया था जिसमें से मार्च 2023 तक 1803.77 लाख का भुगतान किया जा चुका है। आगामी वित्तिय वर्ष 2023–24 के लिए उक्त मद में 1820 लाख के व्यय का प्रावधान रखा गया है।

(राजकिशोर मीना)

2. कार्यालय व्ययः–

कार्यालय व्यय में संविदाकर्मी पारिश्रमिक, वेतन, सुरक्षाकर्मी, सफाई कार्य, पारिश्रमिक अभिभाषक, मनोरंजन, सरकारी वाहन संधारण, किराये के वाहनों का भुगतान फोटोस्टेट, कार्यालय के बिजली, डाक टिकट, स्टेशनरी व्यय अत्यादि के लिए वित्तिय वर्ष 2022–23 में राशि रू. 500 लाख के व्यय का प्रावधान किया गया था, जिसमें विरूद्ध राशि रू. 861.09 लाख व्यय की गई है। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत विज्ञापन अनापत्ति प्रकाशन तथा कच्ची बस्ती/नियमन क्षेत्र में सर्वे कार्य हेतु कार्यालय व्यय में अधिक राशि व्यय की जानी है इसलिये वित्तिय वर्ष 2023–24 में राशि रूपये 700 लाख के व्यय का अनुमान रखा गया है।

3. योजनाओ के निर्माण कार्यो का भुगतान :–

योजनाओं के निर्माण कार्यो पर भुगतान एवं कर्मचारियों के वेतन पर भुगतान मद में गत वित्तिय वर्ष में राशि रूपये 3500 लाख के व्यय का प्रावधान रखा गया था, जिसके विरूद्ध राशि रूपये 1748.11 लाख व्यय हुई थी। योजना क्षेत्र में निर्माण कार्य सामुदायिक भवनों गार्डन का रख–रखाव के लिए वित्तिय वर्ष 2023–24 में 3000 लाख के व्यय का प्रावधान रखा गया है।

4. गैर योजना के निर्माण कार्यो का भुगतान :–

गैर–योजना में मद में गत वर्ष 4500 लाख का संशोधित व्यय का प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध मार्च 2023 तक 2150.10 लाख व्यय हुए है। वित्तिय वर्ष 2022–23 के कार्य पूर्ण नही होने से सम्बन्धित बिलो का भुगतान नही किया जा सका था, जिनका भुगतान वित्तिय वर्ष 2023–24 में किया जायेगा इस हेतु 2023–24 में गैर योजना मद में राशि रू. 3000 लाख के भुगतान का प्रस्ताव रखा गया है।

गैर योजना के क्षेत्र में विविध निर्माण कार्यो पर राशि रूपये 2000 लाख विभिन्न स्थानों पर खेल मैदान निर्माण पर 500 लाख पेराफेरी ग्रामो में जिम निर्माण पर 500 लाख, अजमेर शहर के मुख्य चौराहो के सौन्दर्यीकरण पर 250 लाख तथा जवाहर रंगमंच के जीर्णोद्धार पर राशि रूपये 250 लाख व्यय का प्रावधान रखा गया है।

5. प्राधिकरण के नये भवन का निर्माण :–

अजमेर विकास प्राधिकरण का कार्यालय भवन नगर सुधार न्यास के समय का बना है, जो अत्यधिक पुराना भवन है वर्ष 2013 में प्राधिकरण बनने से निदेशक एवं उपायुक्त स्तर के पद सृजित होने/अभिलेखों के बढ़ने से नये कार्यालय कि आवश्यकता निरंतर महसूस की जा रही थी। प्राधिकरण की कांकरदा भूणाबाय में स्थित भूमि पर कार्यालय का नया भवन बनाने का निर्णय लिया गया कार्य प्रगति पर है, वित्तिय वर्ष 2022–23 में उक्त मद पर राशि रूपये 294.69 लाख का भुगतान किया जा चुका है। वित्तिय वर्ष 2023–24 में राशि रू. 1000 लाख के भुगतान का प्रावधान रखा गया है।

(राजेन्द्र मीना)
निदेशक वित्त

6. कृषि भूमि नियमन क्षेत्र में विकास कार्य :–

राज्य सरकार द्वारा 02 अक्टुबर 2021 से प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत कृषि भूमि नियमन के नियमों में कई संशोधन करते हुए आमजन को राहत प्रदान की है जिससे प्राधिकरण द्वारा ले आउट स्वीकृत कर नियमन किये गये है अभियान अन्तर्गत कृषि भूमि नियमन के 9143 पट्टे जारी किये जा चुके है। इस बस्तियों में आधारभूत सुविधायें (यथा बिजली पानी, सड़क नाली, ड्रेन इत्यादि) के निर्माण हेतु वित्तिय वर्ष 2023–24 में राशि रू. 500 लाख व्यय का प्रावधान किया गया है।

7. वर्तमान प्राधिकरण कार्यालय भवन तथा अन्य निर्माणों पर भुगतान :–

प्राधिकरण कार्यालय भवन टोडरमल लेन, स्थित अधिकारी आवास तथा छतरी योजना में निर्मित आवासो के निर्माण/मरम्मत हेतु वित्तिय वर्ष 2022–23 में फरवरी 2023 तक 27.22 लाख व्यय किये गये है। वित्तिय वर्ष 2023–24 में उक्त मद में राशि रूपये 50 लाख का कार्य करने का अनुमान है।

8. ऋणों का पुर्नभुगतान :–

अजमेर शहर के सर्वागीण विकास हेतु मदार क्षेत्र में आर.ओ.बी.एल.सी 43 एवं एल.सी. 43/1 के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संस्था रूडसिकों द्वारा ऋण लिये गये जिसकी मूल व ब्याज राशि का प्राधिकरण द्वारा भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में ऋण पुर्नभुगतान राशि रूपये 318.31 लाख का भुगतान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए उक्त मद में 300 लाख का प्रावधान किया गया है।

9. ऋण पर ब्याज :–

मदार क्षेत्र में आर.ओ.बी लोन के ब्याज पेटे वित्तिय वर्ष 2022–23 में राशि रूपये 59.19 लाख का भुगतान किया गया था वित्तिय वर्ष 2023–24 में राशि रूपये 50 लाख के ब्याज पेटे भुगतान का प्रावधान रखा गया है।

10. नगर निगम को देय 15 प्रतिशत राशि :–

नगरीय विकास विभाग के आदेशानुसार नगर निगम क्षेत्र में नीलाम की गई भूमियों की 15 प्रतिशत राशि क्षेत्र में सड़क, पानी बिजली एवं साफ–सफाई कार्यो के लिये नगर निगम को दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में नगर निगम को राशि रूपये 461.44 लाख का भुगतान एवं राज्य सरकार के आदेशानुसार नगर निगम के स्मार्ट सिटी अंशदान राशि रूपये 3000 लाख अग्रिम के क्रम में का कुल 3461.44 लाख का भुगतान किया गया है जिसका समायोजन आगामी वर्षो में नगर निगम को देय 15 प्रतिशत राशि से किया जायेगा।

11. नियमन, हस्तान्तरण, नियमतिकरण वापसी :–

प्राधिकरण द्वारा नियमन, हस्तान्तरण राशि एवं नियमतिकरण निरस्त होने/आवेदक द्वारा मांग करने पर राशि रूपये 20 लाख के भुगतान का प्रावधान रखा गया है।

(राजकिशोर मीना)
निदेशक वित्त

12. राज्य सरकार को सरकारी भूमि विक्रय की 20 प्रतिशत हिस्सा राशि का भुगतान :–

राज्य सरकार के आदेशानुसार प्राधिकरण द्वारा बेची गई सिवायचक भूमि का 20 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार को दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में राशि रूपये 1220.98 लाख राज्य सरकार को हस्तांतरित किये गये थे, वित्तीय वर्ष 2023–24 में उक्त मद राशि रूपये 1200 लाख के भुगतान का प्रावधान किया गया है।

13. विविध भुगतान :–

प्राधिकरण द्वारा सेवन वंडर्स रख–रखाव, प्रोसेसिंग फीस, पुर्नगठन, सामुदायिक भवन, भू–उपयोग परिवर्तन मद में वित्तिय वर्ष 2022–23 में राशि रूपये 21.49 लाख का भुगतान किया गया था। वित्तिय वर्ष 2023–24 में राशि रूपये 20 लाख के व्यय का अनुमान किया गया है।

13.1 भूमि विक्रय की वापसी :–

प्राधिकरण द्वारा आवंटित/नीलामी से प्राप्त भूखण्डो के सरेण्डर करने पर आवेदनों को वित्तिय वर्ष 2023–24 में राशि रूपये 50 लाख का भुगतान का प्रस्ताव रखा गया है।

14. सहभागिता अंशदान प्राधिकरण :–

राज्य सरकार/जिला कलक्टर के आदेशानुसार जे.एल.एन में सर्जिकल वार्ड निर्माण हेतु 800 लाख, पुष्कर में ड्रेनकार्य हेतु 601 लाख, चन्द्रवरदायी खेल मैदान के पास गर्ल्स होस्टल निर्माण हेतु राशि रूपये 100 लाख तथा जे.एल.एन में मरम्मत एवं पेन्टिंग कार्य हेतु 11 लाख कुल 1512 लाख रूपये वित्तिय वर्ष 2023–24 में प्राधिकरण मद में व्यय किये जाने का प्रस्ताव रखा गया है।

15. शहरी विकास निधि II (RUDF) :-

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा शहरी विकास निधि फण्ड निर्धारित किया है जो प्रतिवर्ष जमा कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में उक्त मद में राशि रूपये 500 लाख का भुगतान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2023–24 में भी राशि रूपये 500 लाख के भुगतान का प्रस्ताव है।

16. विभिन्न विभागों/संस्थाओं को अग्रिम :–

प्राधिकरण के योजना एवं गैर–योजना क्षेत्र में बिजली पानी आपूर्ति का कार्य टाटा पावर लिमिटेड अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से कराया जाता है। इस हेतु इन विभागों को अग्रिम राशि दी जाती है, जिसे यू.सी./सी.सी. के माध्यम से समायोजित कर किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में राशि रूपये 253.71 लाख अग्रिम दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये राशि रूपये 1000 लाख के अग्रिम का प्रावधान रखा गया है।

(राजकिशोर मीना)
निदेशक वित्त

17. धरोहर अमानत एवं वेतन कटौतियों का भुगतान :–

संवेदको के बिलों से जी.एस.टी. आयकर रायल्टी इत्यादि की कटौती की जाती है। इसी प्रकार प्राधिकरण में कार्यरत कार्मिकों के बिलों से विभिन्न कटौतियो यथा GPF, SI, IT, RHGS, कम्युटेशन एवं पेंशन अंशदान की कटौती की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए इस मद में 2000 लाख के भुगतान के प्रस्ताव का प्रावधान रखा गया है। जिसके विरूद्ध राशि रूपये 2102.22 लाख व्यय हुआ है वित्तिय वर्ष 2023–24 में राशि रूपये 2000 लाख के भुगतान का प्रावधान किया गया है।

18. एस.टी.पी पुष्कर व खानपुरा :–

एस.टी.पी पुष्कर का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिस पर वित्तिय वर्ष 2022–23 में राशि रूपये 307.45 लाख व्यय किये गये थे। वित्तिय वर्ष 2023–24 में इस कार्य पर राशि रूपये 500 लाख के भुगतान का प्रावधान रखा गया है।

19. JNNRUM BSUP मद :–

बीएसयूपी मद में प्राधिकरण अन्तर्गत भगवानगंज, लोहागल एवं किरानीपुरा में निर्माण कार्य प्रगति पर है इस कार्य पर वित्तिय वर्ष 2022–23 में राशि रूपये 111.27 लाख व्यय किया गया था। वित्तिय वर्ष 2023–24 में राशि रूपये 150 लाख के व्यय का प्रावधान किया गया है।

20. अफोर्डेबल हाउसिंग :–

ब्यावर रोड स्थित अफोर्डेबल हाउसिंग योजना जो काफी समय से बंद पडी थी का कार्य प्रारम्भ कराया जाकर शीघ्र ही इस योजना में निर्मित क्वाटर्स को लॉटरी द्वारा आवंटन किया जाना है इस हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में 150 लाख के व्यय का प्रावधान किया गया है।

21. स्मार्ट सिटी हिस्सा राशि :–

अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अजमेर परियोजना के तहत राज्य सरकार के निर्णयानुसार राशि रूपये 10000 लाख अंशदान राशि दिया जाना नियत है उक्त राशि में से वित्तीय वर्ष 2021–22 तक अंशदान राशि रूपये 9200 लाख स्मार्ट सिटी लिमिटेड को हस्तान्तरित की जा चुकी है शेष राशि रूपये 800 लाख वित्तीय वर्ष 2023–24 में दिया जाना प्रस्तावित है।

22. फायरसेस :–

मल्टीस्टोरी बिल्डिंग निर्माण हेतु आवेदको से फायरसेस की राशि नियमानुसार वसूल की जाती है जिसे नगरीय विकास विभाग को हस्तान्तरित किया जाता है वित्तिय वर्ष 2023–24 में इस पर राशि रूपये 30 लाख के हस्तान्तरण किये जाने का प्रस्ताव है।

निर्णयः–सर्वसम्मति से प्राधिकरण की बैठक में वित्तीय वर्ष 2022–23 की वास्तविक प्राप्तियों, भुगतानों तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई।

(राजकिशोर मीना)
निदेशक वित्त

4	**माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पीठ जयपुर में अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की पैरवी हेतु पैनल अधिवक्ता नियुक्त करने के सबंध में।** उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन हैं कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर मे पैरवी के लिये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड श्री अजय सिंह (Enrollment No. R/1103(i)A /2011) एवं अधिवक्ता श्री प्रतीक सिंह (Enrollment No. R/1229/2008) व अधिवक्ता श्री अमित कुडी (Enrollment No. R/1386/2003) के द्वारा पैनल अधिवक्ता नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। 1. एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड श्री अजय सिंह वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली मे पैरवी हेतु अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की 24वीं प्राधिकरण बैठक दिनांक 28.09.2022 के द्वारा पैनल अधिवक्ता नियुक्त है। माननीय माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली मे विचाराधीन एक मात्र प्रकरण को भी श्री अजय सिंह द्वारा प्राधिकरण के पक्ष में निर्णित करवाया गया हैं तथा श्री सिंह द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी प्राधिकरण की ओर से पैरवी की जा रही हैं। 2. अधिवक्ता श्री प्रतीक सिंह के द्वारा वर्ष 2016 से 2021 तक प्राधिकरण की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर मे पैरवी की गई तथा श्री प्रतीक सिंह वर्तमान मे राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर सहित अन्य विभागों की ओर से भी माननीय उच्च न्यायालय मे पेरवी की जा रही है तथा प्राधिकरण के पूर्व के प्रकरणों मे भी श्री प्रतीक सिंह द्वारा समूचित पैरवी की गई हैं। 3. अधिवक्ता श्री अमित कुडी के द्वारा पूर्व में भी प्राधिकरण की और से माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में पैरवी की गयी है तथा वर्तमान में श्री अमित कुडी विभिन्न विभागो की और से पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त है तथा प्राधिकरण के पूर्व के प्रकरणों मे भी श्री अमित कुडी द्वारा समूचित पैरवी की गई हैं। 4. वर्तमान मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे नियुक्त अधिवक्ताओं को प्रति प्रकरण राशि रू. 11,000/–तथा रू. 2000 प्रति प्रकरण खर्च राशि (विविध व्यय) देय है। जिसमे पैरवी शुल्क की अर्द्धांश राशि रू. 5,500/– तथा विविध व्यय राशि रू. 2000/– की भूगतान जवाब/रिट/अपील आदि पेश करने पर देय हैं व शेष राशि का भुगतान प्रकरण के अन्तिम निर्णय/आदेश पर देय हैं। इस प्रकार वर्तमान मे उक्त अधिवक्ताओं को उक्तानुसार दर पर पैनल अधिवक्ता नियुक्त किये जाने पर कोई पृथक से आर्थिक भार नही आयेगा। अतः एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड श्री अजय सिंह (Enrollment No. R/1103(i)A /2011) एवं अधिवक्ता श्री प्रतीक सिंह (Enrollment No. R/1229/2008) व अधिवक्ता श्री अमित कुडी (Enrollment No. R/1386/2003) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर मे पैरवी हेतु उक्त दरो अनुसार पैनल अधिवक्ता नियुक्त करने के लिये प्रस्ताव बैठक में अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं। **निर्णयः– प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वारा बाद विचार विमर्श प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर तीनों अधिवक्ताओं को प्राधिकरण की पैरवी हेतु पैनल अधिवक्ताओं को पूर्व निर्धारित मानदेय पर नियुक्त**	**प्रभारी अधिकारी संस्थापन /निदेशक विधि** (सन्जू मीणा) उपायुक्त विकास प्राधिकरण,अजमेर

	करने का निर्णय लिया गया । विचार विमर्श के दौरान अजमेर विद्युत वितरण निगम अभियंता द्वारा उनके विभाग में पैनल अधिवक्ताओं को विभाग के पक्ष में निर्णित कराये गये प्रत्येक प्रकरण में देय फीस के अतिरिक्त इनसेन्टिव राशि पृथक से दी जाती है की जानकारी दी गई जिससे की अधिवक्ता प्रकरणों में समुचित विभागीय पैरवी हेतु प्रोत्साहित होते है। अतः बोर्ड द्वारा यह निर्देशित किया गया कि अजमेर विद्युत वितरण निगम के उक्त निर्णय का समुचित परीक्षण कर उपयुक्त पाये जाने पर प्राधिकरण के समक्ष प्रस्ताव रखा जावे।	(सन्जू मीणा) उपायुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर
5	**भगवान गंज स्थित BSUP परियोजना में शेष 184 आवसों का Rental Scheme में निष्पादन करने के क्रम में।** भगवानगंज स्थित BSUP परियोजनाओं में शेष 184 आवासों का अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की **Affordable Rental Housing** Complexes (ARHC) Policy 2020 के तहत निस्तारण किया जाना है। इस हेतु सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा मुख्य – मुख्य शर्ते तय की गई जोकि निम्नानुसार हैं :– 1. एआरएचसी योजना में शहरी प्रवासी/गरीब जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, वे ही लाभार्थी होंगे। इनमें पथ विक्रेता, रिक्शा चालक और अन्य सेवा प्रदाता, बाजार/व्यापार संघों, शैक्षिणक/स्वास्थ्य संस्थाओं, आथित्य क्षेत्र में काम करने वाले प्रवासी सहित औद्योगिक कामगार, दीर्घकालिक पर्यटक/आगंतुक, विद्यार्थी या अन्य श्रेणी के प्रवासी शामिल है। 2. आवास गृहों का किराये पर भारत सरकार के Affordable Rental Housing Complexes के प्रावधानों के तहत 25 वर्ष पर किरायेदरी के लिये दिया जायेगा, 25 वर्ष पश्चात् अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रतिग्रहण कर लिया जायेगा। 3. किरायेदरी के लिये आवेदक के परिवार की सकल आय 3.00 लाख रू. प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये, जिसके लिये आवेदनकर्ता को सक्षम अधिकरी का आय प्रमाण– पत्र देना होगा। 4. आवास किरायेदारी के लिये निर्धारित प्रपत्र में आवेदन रूपये 2000/– डी.डी. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम या चालान के साथ जमा कराना होगा। आवेदन शुल्क रूपये 100/– होगा। असफल आवेदकों को रूप्ये 2000/– वापिस लौटा दिये जायेगें। 5. आवास गृहों का किराया निम्नानुसार प्राधिकरण कार्यालय में जमा कराना होगा :– • प्रथम 5 वर्ष तक 750 रू. प्रतिमाह। • 5 वर्ष पश्चात् 10 वर्ष तक 900 रू. प्रतिमाह। • 10 वर्ष पश्चात् 15 वर्ष तक 1050 रू. प्रतिमाह।	**निदेशक अभियांत्रिकी**

	• 15 वर्ष पश्चात् 20 वर्ष तक 1250 रू. प्रतिमाह। • 20 वर्ष पश्चात् 25 वर्ष तक 1500 रू. प्रतिमाह। 6. किरायेदार द्वारा 3 माह किराया जमा नहीं कराने की स्थिति में, प्राधिकरण द्वारा किरायेदार की किरायेदारी को समाप्त करने का अधिकार होगा। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा परियोजना निदेशक (आवासन), रूडिसको जयपुर को आवश्यक स्वीकृति हेतु दिनांक 02.02.2023 को पत्र लिखा गया। परियोजना निदेशक (आवासन) द्वारा 20.03.2023 को आवासों को किराये पर दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये। अतः 184 आवासों को किराया पद्धति पर देने हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। **निर्णयः– प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वारा बाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया ।**	(Anil Kumar) Director Engineering A.D.A., Ajmer
6	**पंचशील लिंक रोड योजना व्यवसायिक प्रयोजनार्थ की आरक्षित दर स्वीकृत करने बाबत।** प्राधिकरण द्वारा राजस्व ग्राम लोहागल के खसरा नं. 1050 में पंचशील लिंक रोड व्यवसायिक योजना का ले आउदट प्लान, भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 25.03.2022 मे स्वीकृत किया गया है। योजना का saleable area 6480 वर्गमीटर है एवं 4 भूखण्ड स्वीकृत किये गये है। उक्त योजना में सर्वे, नाली निर्माण, विघुतीकरण , स्ट्रीट लाईट, पेयजल व्यवस्था व पार्क विकास के कार्य करवाये जाने प्रस्तावित है जिनकी अनुमानित लागत 198.25 लाख रू. है। गणना अनुसार योजना की आरक्षित दर 6110.00 प्रति वर्गमीटर आई है जो कि विचारार्थ प्रस्तुत है। **निर्णयः– प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वारा बाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया ।**	**निदेशक अभियांत्रिकी** (Anil Kumar) Director Engineering A.D.A., Ajmer
7	**लेण्ड पुलिंग पॉलिसी के माध्यम से राजस्व ग्राम घूघरा कांकरदा भूणाबाय एवं रसूलपुरा में स्थित सेन्टर जेल के पीछे लगभग 225 हैक्टयर में बहुउद्देशीय योजना विकसित किये जाने बाबत।** राजस्व ग्राम घूघरा, कांकरदा भूणाबाय एवं रसूलपुरा में लगभग 225 हैक्टेयर भूमि पर बहुउद्देशीय योजना लैण्ड पुलिंग पॉलिसी के माध्यम से विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु भूमि की सीमाओ का विवरण निम्नानुसार है। उत्तर में :–मुख्य जयपुर मार्ग पर रेल्वे ब्रिज से अशोक उद्यान तक जयपुर मार्ग के दक्षिण का भाग। पूर्व में :– अशोक उद्यान से नारेली की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग–08 पर लगभग 2.5 कि.मी. दक्षिण में मास्टर प्लान की प्रस्तावित 100 फीट चौड़ी	निदेशक आयोजना निदेशक आयोजना अ. वि. प्रा., अजमेर

सड़क तक राष्ट्रीय राजमार्ग–08 के पश्चिम का भाग।

दक्षिण में :–राष्ट्रीय राजमार्ग–08 से मास्टर प्लान की 100 फीट चौड़ी प्रस्तावित सड़क के सहारे रसूलपुरा की ओर पुष्कर रेल्वे मार्ग तक के उत्तर का भाग।

पश्चिम में :–रसूलपुरा में मास्टर प्लान की प्रस्तावित 100 फीट चौड़ी सड़क से पुष्कर रेल्वे मार्ग के सहारे उत्तर में सेन्ट्रल जेल के पास मुख्य जयपुर मार्ग तक के पूर्व का भाग।

उपरोक्त विषयान्तर्गत दिनांक 09.12.2022 को श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, की अध्यक्षता में पुष्कर प्रवास के दौरान पुष्कर में बैठक आयोजित की गई जिसमें राजस्व ग्राम घूघरा, कांकरदा भूणाबाय एवं रसूलपुरा में सेन्ट्रल जेल के पीछे अजमेर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि के क्रम में विस्तृत चर्चा की गई। उक्त क्षेत्र में लैण्ड पुलिंग पॉलिसी के तहत् लगभग 300 हैक्टेयर भूमि में से मुख्य जयपुर मार्ग के सहारे विकसित क्षेत्र को छोड़ कर शेष लगभग 225 हैक्टेयर भूमि पर बहुउद्देशीय योजना विकसित किया जाना प्रस्तावित है। 225 हैक्टेयर भूमि में से लगभग 50.5 हैक्टेयर अजमेर प्राधिकरण एवं लगभग 174.5 हैक्टेयर निजी खातेदारो की स्वामित्व की भूमि स्थित है, जिस पर प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु नियमानुसार भूमि आरक्षित रखने के पश्चात् लगभग 5000 आवासीय एवं व्यवसायिक भूखण्ड सृजित किये जा सकते है।

केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अरबन रिफॉर्मस कार्यक्रम के अन्तर्गत लैण्ड पुलिंग पॉलिसी (टॉउन प्लानिंग स्कीम) के तहत् योजना तैयार किये जाने के क्रम में नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा समस्त विकास प्राधिकरण एवं नगर सुधार न्यास को प्रेषित पत्र क्रमांक 18(25)नविवि/सामान्य/2014 पार्ट दिनांक 27.09.2022 के द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में 50 से 500 हैक्टेयर तक भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव भिजवाये जाने हेतु आदेश प्रदान किये गये। उपरोक्त की पालना में प्राधिकरण द्वारा श्रीमान संयुक्त शासन सचिव द्वितीय नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार को अपने पत्र क्रमांक अविप्रा/प.3/नियोजन शाखा/2022/2492 दिनांक 12.10.2022 द्वारा प्रश्नगत भूमि पर लैण्ड पुलिंग पॉलिसी (टॉउन प्लानिंग स्कीम) के तहत् योजना तैयार किये जाने का कमिटमेंट किया गया।

निदेशक आयोजना
अ. वि .प्रा., अजमेर

इसी क्रम में दिनांक 13.12.2022 को माननीय प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के कार्यालय में आयोजित बैठक के अन्तर्गत लैण्ड पुलिंग पॉलिसी के तहत् योजना तैयार किये जाने का कार्य, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में प्रक्रियाधीन लैण्ड पुलिंग पॉलिसी के तर्ज पर PDCOR LTD. जयपुर (जो कि वित्त विभाग राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 25.10.2021 द्वारा स्वीकृत है) के माध्यम से नवीन योजना तैयार किया जाना प्रस्तावित किया गया। उपरोक्त निर्धारित प्रक्रियानुसार कार्य सम्पादित किये जाने में अनुमानित लागत राशि रूपये एक करोड़ तक के व्यय की सम्भावना है, अतः प्रस्ताव समिति के समक्ष अवलोकनार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः– प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वारा बाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया ।

8	**अध्यक्ष, आयुक्त एवं सचिव के वाहनों पर दो वाहन चालक रखने बाबत्।** स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के आन्तरिक जॉच रिपोर्ट प्रतिवेदन वर्ष 2011–13 के आक्षेप सं. 10(ल)(11) से एक ही वाहन पर दो वाहन चालक रखने को आक्षेपनीय मानते हुए अनियमित भुगतान राशि रूपये 80842/– की वसूली निकाली है। अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर का कार्यक्षेत्र अजमेर,पुष्कर,किशनगढ एवं संबंधित 118 ग्राम है, जिनके विकास कार्यो के निरीक्षण , भूमि अवाप्ति ,भूमि आवंटन,आमजन की समस्याओं का निराकरण करने हेतु अध्यक्ष आयुक्त एवं सचिव को निरंतर क्षेत्र मे भ्रमण करना होता है। इन कार्यो हेतु राजकीय वाहनों को नियत समय से अधिक समय भी चलाना पडता है इसके अतिरिक्त किसी आकस्मिक घटना घटित होने पर भी इन अधिकारियों को समय बेसमय क्षेत्रभ्रमण करना पडता है, जिले मे आयोजित धार्मिक आयोजनो यथा उर्स मेला एवं पुष्कर मेला,चुनाव कार्य तथा वी.आई.पी डयूटी जिला कलक्टर महोदय के आदेशो की पालना इत्यादि के दौरान एक वाहन चालक द्वारा लगातार वाहन चलाना संभव नही हो पाता है। लम्बे समय तक एक ही वाहन चालक द्वारा वाहन चलाने से उसकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है जिससे दुर्घटनाघटित होने की आशंका रहती है, प्राधिकरण में वर्तमान दर संविदा के अनुसार प्रतिवाहन चालक प्रतिमाह दर राशि 9800/–मय समस्त कटौतिया (यथा आयकर+GST) अनुमोदित है,कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत उक्त राशि अल्प है। इसलिए समय पर अध्यक्ष ,आयुक्त एवं सचिव के वाहनों के संचालन के लिए अतिरिक्त वाहन चालक रखा गया है। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के अनुसार आवश्यकता के दृष्टिगत अध्यक्ष,आयुक्त एवं सचिव के वाहनों पर एक अतिरिक्त वाहन चालक रखने तथा पूर्व में रखे गये दो वाहन चालकों के भुगतान को नियमित करने हेतु दिनांक 03.02.2023 को आयोजित कार्यकारी समिति बैठक के प्रस्ताव सं. 14 पर अनुमोदनार्थ रखा गया, समिति द्वारा उक्त प्रकरण को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक मे रखने की अनुशंषा की गई। अतः कार्यकारी समिति द्वारा की गई अनुशंषा की पालना मे प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। **निर्णयः– प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वारा बाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया ।**	**प्रभारी अधिकारी भण्डार**

9 **किशनगढ शहर के राजस्व ग्रामो मे स्थित अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के नाम दर्ज भूमि को नगर परिषद किशनगढ को हस्तान्तरित करने बाबत।** — तहसीलदार

प्रसंगः– श्रीमान कलक्टर महोदय, जिला अजमेर के पत्र क्रमांकः /कअ/राजस्व/प.(415)(00030)/2023/64 दिनांक 04.01.2023 एवं कअ/राजस्व/2019/3867 दिनांक 18.06.2019 के क्रम मे।

ग्राम फरासिया सावंतसर, किशनगढ़ ए, किशनगढ़ बी के निम्नांकित खसरे जो कि अजमेर विकास प्राधिकरण स्वामित्व की भूमि है, श्रीमान कलक्टर महोदय, अजमेर के प्रासंगिक पत्र के अनुसार नगर परिषद, किशनगढ की सीमा मे स्थित होने से हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्राधिकरण के अभिमत से श्रीमान के कार्यालय को अवगत कराया जाना है। प्रासंगिक पत्र के अनुसार प्रस्तावित भूमि का विवरण इस प्रकार हैः–

क्र. सं.	नाम ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	वि.वि
1	फरासिया	190	3.7861	बारानी 2	माहेश्वरी पब्लिक स्कूल
2	सांवतसर	246/1	0.5825	बंजर 2	मार्बल गौदाम
3	संवतसर	246/2	0.0566	बंजर 2	मार्बल गौदाम
4	सांवतसर	278/8	0.1133	बंजर 1	मार्बल गौदाम
5	सांवतसर	278/9	0.0647	बंजर 1	मार्बल गौदाम
6	सांवतसर	384	0.2508	बारानी 1	मार्बल गौदाम
7	सांवतसर	385	0.1618	बारानी 1	मार्बल गौदाम
8	सांवतसर	490/5	37.6994	गै. मु. पहाडी 5.1371 गै. मु. रड्डी 32.5623	कुल रकबे मे से ADA के नाम दर्ज हिस्सा 18/1165
9	सांवतसर	198/15	51.4039	गै. मु. पहाडी 48.1679 बंजर 1–0.1618 बारानी 2 –3.0742 बारानी 2 –3.0742	कुल रकबे मे से ADA के नाम दर्ज हिस्सा 739/3177
10	किशनगढ़ ए	1454/2730	0.8903	गै.मु.नाला 0.8903	नाला
11	किशनगढ़ ए	1486	0.0405	गै.मु.चाह 0.0405	कुंआ
12	किशनगढ़ ए	1492	0.0647	गै.मु.पाल 0.0647	पाल
13	किशनगढ़ ए	1493	0.9389	गै.मु.पाल 0.9389	पाल
14	किशनगढ़ ए	1499	0.0486	गै.मु.मोरी 0.0486	मोरी
15	किशनगढ़ ए	1502	0.5261	गै.मु.नाला 0.5261	नाला
16	किशनगढ़ ए	1780	0.0567	गै.मु.खान 0.0567	खडडा
17	किशनगढ़ ए	1781	0.4128	गै.मु.आबादी 0.4128	आबादी
18	किशनगढ़ ए	1787	0.0162	गै.मु.चाह 0.0162	कुंआ
19	किशनगढ़ ए	1789	0.0243	गै.मु.चाह 0.0243	कुंआ
20	किशनगढ़ ए	1790	0.0567	गै.मु.चाह 0.0567	कुंआ
21	किशनगढ़ ए	1797	0.1619	गै.मु.मोरी 0.1619	मोरी
22	किशनगढ़ ए	1814	0.0243	गै.मु.चाह 0.0243	कुंआ
23	किशनगढ़ ए	1820	0.4128	गै.मु.पाल 0.4128	पाल
24	किशनगढ़ ए	1829	0.0405	गै.मु.मोरी 0.0405	मोरी
25	किशनगढ़ ए	1831	0.0809	गै.मु.मोरी 0.0809	मोरी
26	किशनगढ़ ए	1832	0.0809	गै.मु.मारी 0.0809	मोरी
27	किशनगढ़ ए	1846	0.0405	गै.मु.मोरी 0.0405	मोरी
28	किशनगढ़ ए	1862	0.0809	गै.मु.मोरी 0.0809	मोरी
29	किशनगढ़ ए	2247/2	0.8094	गै.मु रडडी 0.8094	आबादी
30	किशनगढ़ ए	2258	0.1052	गै.मु. 0.1052	आबादी

(आबिद अली)
तहसीलदार
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

31	किशनगढ़ ए	2260	0.0405	गै.मु.मोरी 0.0405	मोरी
32	किशनगढ़ ए	2261	0.1862	गै.मु. मोरी 0.1862	मोरी
33	किशनगढ़ ए	2268	0.5261	गै.मु.नाला 0.5261	नाला
34	किशनगढ़ ए	2273	0.6880	गै.मु.नाला 0.6880	नाला
35	किशनगढ़ ए	2314	0.0971	गै.मु. 0.0971	आबादी
36	किशनगढ़ बी	131	0.5423	बारानी 1–0.5423	आबादी
37	किशनगढ़ बी	132	0.3480	बारानी 1–0.3399	आबादी
38	किशनगढ़ बी	45	1.4083	बारानी 1–1.4083	आबादी
39	किशनगढ़ बी	46/1	0.2428	बारानी 2– 0.2428	आबादी
40	किशनगढ़ बी	460	0.3642	गै.मु.नाला 0.3642	नाला
41	किशनगढ़ बी	599	0.4937	गै.मु.नाला 0.4937	नाला
42	किशनगढ़ बी	623	0.1052	गै.मु.नाला 0.1052	नाला
43	किशनगढ़ बी	628	0.3642	गै.मु.नाला 0.3642	नाला
44	किशनगढ़ बी	630	0.1214	गै.मु.नाला 0.1214	नाला
45	किशनगढ़ बी	654	1.0279	गै.मु.नाला 1.0279	नाला
46	किशनगढ़ बी	75	1.0522	गै.मु.नाला 1.0522	नाला
47	किशनगढ़ बी	81	0.8013	गै.मु.नाला 0.8013	नाला
48	किशनगढ़ बी	84/2756	0.6880	गै.मु.नाला 0.6880	नाला
49	किशनगढ़ बी	917/2	0.0809	बंजर 2 0.0809	आबादी
50	किशनगढ़ बी	920	0.5908	गै.मु.नाला 0.5908	नाला
51	किशनगढ़ बी	924	0.9874	गै.मु.नाला 0.9874	नाला
52	किशनगढ़ बी	962	0.4047	गै.मु.नाला 0.4047	नाला
53	किशनगढ़ बी	980	0.0405	गै.मु.नाला 0.0405	नाला
54	किशनगढ़ बी	982	0.8741	गै.मु.नाला 0.8741	नाला
55	किशनगढ़ बी	984	0.4856	गै.मु.नाला 0.4856	नाला
56	किशनगढ़ बी	11/6	5.7587	बंजर 1–5.7587	खाली
57	किशनगढ़ बी	436	0.2914	बारानी 1 –0.29114	खाली
58	किशनगढ़ बी	437	0.1619	गै.मु.खडडा 0.1619	खडडा
59	किशनगढ़ बी	584	1.9506	बारानी 2 –1.9506	चार दिवारी
60	किशनगढ़ बी	672	0.2590	बंजर 0.2590	चार दिवारी
61	किशनगढ़ बी	73/1	5.2569	बंजर 5.2569	खाली
62	किशनगढ़ बी	78/1	47.6314	बंजर 1 –47.6314	खाली
63	किशनगढ़ बी	80/3	8.4579	बंजर 1–8.4579	खाली
64	किशनगढ़ ए	1462	0.6475	बंजर 1 –0.6475	खाली
65	किशनगढ़ ए	1505	0.7770	बंजर 1 –0.7770	खाली

क्रम संख्या 1 से 65 पर दर्ज भूमियो उपखण्ड अधिकारी किशनगढ द्वारा गठित संयुक्त टीम की रिपोर्ट एवं अजमेर विकास प्राधिकरण के भू0 अभिलेख निरीक्षक मौका जांच अनुसार वर्णित भूमि नगर परिषद सीमा क्षेत्र में स्थित होने से प्रस्तावित है।

उपरोक्त सूची में वर्णित हस्तान्तरित आराजियात बाबत् निदेशक विधि अजमेर विकास प्राधिकरण के अनुसार किसी भी न्यायायल में लम्बित वाद/स्थगन इत्यादि को अप्रभावित रखेगा। अतः क्रम संख्या 1 से 65 पर को अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर से नगर परिषद, किशनगढ की सीमा क्षेत्र मे होने से हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध मे प्रस्ताव कमेटी के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

अतः प्रस्ताव कमेटी के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः– प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वारा बाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर उपरोक्त खसरों का विधिशाखा से जांच करा कोर्टस्टे/वाद से अप्रभावित खसरों के हस्तान्तरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया ।

(आबेद अली)
तहसीलदार
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

10 **पालनहार आवासीय छात्रावास (अनाथ बच्चो) निर्माण हेतु भूमि आवंटन (घूघरा)** — **प्रभारी अधिकारी आवंटन**

उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग–अजमेर का आवेदन पत्र 3037 दिनांक 28.03.2023 प्राप्त हुआ जिसमें उन्होने पालनहार आवासीय छात्रावास (अनाथ बच्चो) निर्माण हेतु ग्राम घूघरा में 2000 वर्गमीटर भूमि अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर से आवंटन हेतु निवेदन किया है।

आवेदन पत्र की जांच भू–अभिलेख शाखा के पटवारी/गिरदावर द्वारा करवाई गई। उनकी जांच रिपोर्ट अनुसार आवेदित उद्देश्य हेतु ग्राम घूघरा के खसरा नं. 4674/465 रकबा 0.6000 हैक्टे. किस्म बारानी 3 प्राधिकरण स्वामित्व की भूमि मे से 1800 वर्गमीटर भूमि दी जा सकती है, भूमि मौके पर रिक्त है, आवेदित भूमि पर पहुंच मार्ग खसरा नम्बर 850 (कैलाश नगर) के स्वीकृत ले–आऊट प्लान के रास्ते से मिलता हैं।

विधि विभाग ने अपनी रिपोर्ट मे उक्त भूमि पर किसी प्रकार का वाद/स्थगन नही होना अवगत कराया है।

भूमि की जांच नियोजन शाखा से कराई जाने पर उन्होने अपनी रिपोर्ट मे बताया कि प्रश्नगत भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान 2033 अनुसार (P.C) सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक हेतु आरक्षित है। मास्टर प्लान में उल्लेखित (DCR) तालिका अनुसार अनाथालय 12 मीटर मार्ग रखते हुए अनुज्ञेय हैं, प्रस्तावित भूमि पर स्वीकृत ले–आऊट प्लान के रास्ते से 40 फीट मार्ग उपलब्ध है। प्रस्तावित भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान 2033 का मानचित्र, गूगल मानचित्र व स्थल मानचित्र प्रस्तुत किया है।

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्बेश्यों के लिये भूमि आवंटन नीति 2015 के बिन्दु सं. 2.9 के उप पैरा 3.3 मे अनाथआश्रम (पालनहार छात्रावास) हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान बताया गया है। जबकी आवेदक संस्था ने 1800 वर्गमीटर भूमि आवंटन किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जो कि राज्य सरकार के स्तर से आवंटित किया जा सकता है।

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा ग्राम घूघरा के खसरा नं. 4674/465 रकबा 0.6000 हैक्टे.किस्म बारानी 3 मे से लगभग 1800 वर्गमीटर भूमि (उपलब्धता अनुसार) उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारीता विभाग को पालनहार आवासीय छात्रावास (अनाथ बच्चो) निर्माण हेतु भूमि आवंटित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर बोर्ड बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णयः– प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वारा बाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया ।

(सन्जू मीणा)
उपायुक्त
अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

11 **मास्टर/जोनल प्लान में निर्धारित मिश्रित भू–उपयोग के अन्तर्गत प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में सृजित भूखण्डो की व्यवसायिक निलामी के संबंध में।** — **निदेशक आयोजना**

मास्टर डवलपमेंट प्लान 2013–33 अजमेर रीजन के अंतर्गत 80 फीट एवं अधिक चौड़ाई की मुख्य सड़को पर मिश्रित उपयोग अनुज्ञेय किये गए हैं। मास्टर डवलपमेंट प्लान के डी.पी.सी.आर अनुसार, राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन नियम–2010 के अनुसार एवं भवन विनियम–2020 अजमेर रीजन के प्रावधानानुसार मिश्रित उपयोग में, सड़को की निर्धारित चौड़ाई के 1.5

निदेशक आयोजना
अ. वि .प्रा., अजमेर

गुना गहराई के अनुपात अथवा एकल सम्पत्ति की गहराई जो भी कम हो तक आवासीय, व्यवसायिक एवं संस्थागत उपयोग, एक से अधिक उपयोग सम्मिलित रूप से अथवा एकल उपयोग के रूप में अनुज्ञेय हैं।

प्रायः यह देखा गया है कि अजमेर विकास प्राधिकरण/तत्कालीन नगर सुधार न्यास अजमेर की योजनाओं में, 80 फीट एवं अधिक चौड़ाई की सड़के जिन पर मास्टर प्लान में मिश्रित उपयोग निर्धारित किया गया है, पर सृजित ऐसे आवासीय भूखण्ड, जो कि पूर्व में नीलामी/एल.एफ.एल./आवंटन/लॉटरी के माध्यम से बैचान किये गए हैं, का नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन न्यूनतम दरो पर भूखण्डधारियों द्वारा कर वाया जाता हैं।

प्राधिकरण कि योजनाओं में मास्टर प्लान के प्रावधानानुसार मिश्रित उपयोग के अंतर्गत आ रहे ऐसे भूखण्ड जिन्हे अबतक नीलाम अथवा आवंटित नहीं किया गया है, वे भी आवासीय, व्यवसायिक एवं संस्थागत उपयोग हेतु एक से अधिक उपयोग सम्मिलित रूप से अथवा एकल उपयोग के रूप में लिए जा सकते हैं। जिसके सम्बंध में नियोजन एवं विधि शाखा के अनुसार कोई तकनीकी एवं विधिक आपत्ति नहीं हैं।

निदेशक आयोजना
अ. वि. प्रा., अजमेर

चूंकि आवासीय भूखण्ड की बाजार दर व्यवसायिक भूखण्ड की तुलना में काफी कम होती हैं, ऐसी स्थिति में इन भूखण्डों को व्यवसायिक भूखण्ड के रूप में नीलाम किये जाने पर निश्चित ही प्राधिकरण के राजस्व आय में वृद्धि होगी। अतः उपरोक्त के क्रम में प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः– प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वारा बाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया ।

12 **अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से प्रस्तावः–**

1. **राज्य सरकार के प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान अधिकतम पट्टे जारी करने एवं आवंटित लक्ष्य की पूर्ति हेतु यह निर्णय लिया गया कि नगर निगम द्वारा विभिन्न खसरों की एनओसी चाही जाने पर उन खसरों की अध्यक्ष महोदय से अनुमति प्राप्त कर एनओसी जारी की जावें तथा आगामी बोर्ड बैठक मे उसका अनुमोदन करा लिया जावें ताकि राज्य सरकार की भावना के अनुरूप पात्र व्यक्तियों को शतप्रतिशत पट्टे जारी किया जा सकें।**

2. **जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण की तर्ज पर अजमेर विकास प्राधिकरण में मास्टर प्लान सेल के गठन हेतु जी.आई.एस एक्सपर्ट का पद सृजित किये जाने बाबत्।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत केंद्र सरकार द्वारा संचालित अमृत योजना की सब स्कीम 'फार्मूलेशन ऑफ जी आई एस बेस्ड मास्टर प्लान' के अंतर्गत समस्त अमृत शहरो (जिनमें अजमेर व किशनगढ़ सम्मिलित) के मास्टर प्लान जी आई एस तकनीक पर तैयार/अपडेट किये जाने हैं। अजमेर विकास प्राधिकरण के

निदेशक आयोजना
अ. वि. प्रा., अजमेर

क्षेत्राधिकार में वर्तमान में निम्नांकित तीन मास्टर डवलपमेंट प्लान प्रभावी हैं :–

1. मास्टर डवलपमेंट प्लान 2013–33 अजमेर रीजन (नगरीय क्षेत्र में कुल 78 ग्राम सम्मिलित)
2. मास्टर प्लान 2011–31 किशनगढ़ (नगरीय क्षेत्र में कुल 25 ग्राम सम्मिलित)
3. मास्टर प्लान 2011–31 पुष्कर (नगरीय क्षेत्र में कुल 15 ग्राम सम्मिलित)

उपरोक्त वर्णित मास्टर प्लान में से मास्टर डवलपमेंट प्लान 2013–33 अजमेर रीजन जी.आई.एस. तकनीक पर तैयार किया गया है। शेष दो मास्टर प्लान को सुपरइम्पोस कर उक्त के नगरीय क्षेत्र में प्राप्त प्रकरणों की जाँच कर निस्तारण किया जाता हैं। अतः इन्हे भी जी.आई.एस. तकनीक पर अपडेट किया जाना हैं।

अजमेर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में अधिसूचित उपरोक्त वर्णित तीनो मास्टर प्लानो को वर्ष 2030 के समयानुकूल पुनरीक्षित किया जाना आवश्यक होगा। उक्त दरमियान अ.वि.प्रा. द्वारा किये जाने वाली समस्त कार्यवाही यथापि, धरा 90–ए अनुमोदन, भू–उपयोग परिवर्तन, योजना मानचित्र अनुमोदन, विभिंन भूमि आवंटन, इत्यादि को कमिटमेंट मानते हुए एवं अतिरिक्त आबादी बसावट मय विस्तार के आधार पर समकालीन सामान्यकृत विद्यमान भू–उपयोग मानचित्र एवं शहर मानचित्र वर्ष 2030 पर चिन्हित कर तैयार किया जाना हैं।

उपरोक्त कार्य के महत्त्व को दृश्टिगत रकते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में स्थापित मास्टर प्लान सेल में नियुक्त जी आई एस एक्सपर्ट द्वारा उक्त कार्य नियमित रूप से सम्पादित करवाया जाता हैं। इस प्रकार जयपुर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की योजना तैयार करने, अनुमोदन करने, मास्टर अथवा जोनल प्लान तैयार व संशोधन करने हेतु नए तकनीक द्वारा सीमित समयावधि में त्रुटि रहित कार्य सम्पादित किया जाता हैं।

इसके अतिरिक्त जी आई एस एक्सपर्ट पर प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन जिसमें मुखयतः स्थल मानचित्र तैयार करना, भूखंडों एवं सड़कों के माप दर्शाना, नवीन योजना सृजित करना, नीलामी के भूखंडों, राजस्व रिकॉर्ड संधारण एवं भूमि इत्यादि से सम्बंधित समस्त सूचना नए तक्नीक द्वारा संधारित करना, विभिन्न प्रकार के नक्शे तैयार कर प्रति उपलब्ध करवाना जैसे महत्वपूर्ण तक्नीकी कार्य सम्मिलित है। जी आई एस सॉफ्टवेयर में शहर के

निदेशक आयोजना
अ. वि. प्रा., अजमेर

	सुविधा एवं आधारभूत संरचना जैसे विद्युत, पेय जल, जल–मल निकास, ठोस कचरा प्रबंधन इत्यादि के सम्बन्ध में सूचना संधारित किया जाता हैं जो कि योजना तैयार करने कि दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है एवं आवश्यक विश्लेषण हेतु इस्तेमाल होते हैं जो कि जी आई एस एक्सपर्ट द्वारा किया जाता हैं। अतः प्राधिकरण के समस्त जी आई एस सम्बन्धी कार्यवाही को दृष्टिगत रखते हुए एवं अविप्रा कि कार्य कुशलता को बढ़ाने हेतु दो पदों को सृजित किया जाना प्रस्तावित है। **निर्णयः– प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वारा बाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से राज्य सरकार को जी आई एस एक्सपर्ट के दो पद सृजित करने का प्रस्ताव भिजवाने का निर्णय लिया गया।**	निदेशक आयोजना अ. वि. प्रा., अजमेर

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त घोषित की गई।

श्री अंशदीप
जिला कलक्टर, अजमेर एवं अध्यक्ष
अ.वि.प्रा, अजमेर।

श्रीमती बृजलता हाड़ा,
मेयर, नगर निगम,
अजमेर।

श्री अक्षय गोदारा,
आयुक्त, अ.वि.प्रा,
अजमेर

श्री अमानुल्लाह खान,
सचिव,
अ.वि.प्रा अजमेर

श्री मुकेश मित्तल,
वरिष्ठ नगर नियोजक,
अजमेर

श्री एन.के.भटनागर
अधिक्षण अभिंयता अजमेर विद्युत वितरण निगम, लिमिटेड़ अजमेर।

श्री अशोक तंवर
अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग। अजमेर

श्री विष्णु प्रकाश शर्मा,
अधिशाषी अभियंता,
जन.स्वा.अभि.विभाग, अजमेर

श्री दीपक कौशिक, आवासीय अभियंता ,राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर

क्रमांक / अ.वि.प्रा / सचिव / प.10 / 2023 / 42–60 दिनांक 18/04/2023

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत / प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, अध्यक्ष, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
3. निजी सहायक, जिला कलक्टर, अजमेर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
5. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, महापौर, नगर निगम, अजमेर।
7. निजी सचिव, जिला प्रमुख, अजमेर
8. सभापति, नगर परिषद्, किशनगढ़, अजमेर।
9. सभापति, नगरपालिका बोर्ड, पुष्कर, अजमेर।
10. अति. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण, निगम लि., अजमेर।
11. अति. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, अजमेर।
12. मुख्य प्रबंधक, अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर।
13. उपायुक्त उत्तर / दक्षिण, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
14. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
15. निदेशक अभियांत्रिकी / आयोजना / वित्त / विधि, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
16. तहसीलदार, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
17. उप नगर नियोजक, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।

(अमानुल्लाह खान)
सचिव,
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर